अंक 123

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मुख्यातिथ्य में
गाँधी जयंती के अवसर पर प्रशासन गांवों के संग एवं
प्रशासन शहरों के संग अभियान का राज्य स्तरीय
शुभारंभ समारोह।

संरक्षक
श्री राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्रीमती मंजू राजपाल, सदस्य
श्री सीआर मीणा, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

वरिष्ठ संपादक
डॉ. मोहन लाल यादव
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, राविरा)
पवन कुमार शर्मा
जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
वरिष्ठ सहायक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान
की त्रैमासिकी

अंक–123 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. संपादकीय

लेख-सामग्री एवं विविध जानकारी

3. जागीर एक्ट–खुदकाश्त खातेदारी एवं आवंटन (भाग–2) 1-5
4. भूमि खसरा संख्या का विज्ञान 6-17
5. भू–अभिलेख आधुनिकीकरण महाअभियान: राजस्थान रच रहा है इतिहास, पलक झपकते हो रहे अन्नदाताओं के काज 18-20

स्थायी स्तम्भ

6. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 21-53
7. राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा 54-64
8. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि 65-120
9. राजस्व समाचार 121-124

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

राविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफल कहानियां आदि सामग्री ई–मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

अध्यक्ष की कलम से...

लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमजन के हक हकूक की रक्षा एवं अधिकार से वंचित वर्ग को त्वरित, सुगम एवं निष्पक्ष न्याय दिलाना न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान जैसे भौगोलिक एवम सामाजिक विविधता वाले प्रदेश में राजस्व न्यायालयों के अधीन आमजन से संबंधित राजस्व प्रकरण बड़ी संख्या में विचाराधीन हैं। विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों में वर्ष दर वर्ष लंबित प्रकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज होती जा रही है। राजस्व प्रकरणों के न्यूनीकरण के लिए प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं आमजन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए दायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता है।

राजस्व न्यायालयों में निर्णयों को गुणवत्तापूर्ण, विधिसम्मत एवं तार्किक आधार पर पारित करने के उद्देश्य को लेकर राजस्व मंडल के स्तर पर तीन राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया गया। इनमें मिले अनुभव, वैचारिक आदान–प्रदान एवं प्रकरण निस्तारण की बारीकियों की जानकारी को आप अपने कार्य व्यवहार में उतारते हुए राजस्व न्यायालयों के कुशल संचालन से अपने कार्यकाल की श्रेष्ठ छवि का निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

राज्य भर में आयोजित हो रहे 'प्रशासन गांवों के संग शिविरों' के विविध दायित्वों को आप समर्पित रूप से निभाते हुए सरकार की सर्वकल्याणकारी मंशा के अनुरूप परिणाम दें। शिविरों के लिए हर स्तर पर ठोस तैयारी कर लें एवं पूर्ण समन्वय, सहयोग एवं सामंजस्य के साथ कार्यों को अंजाम दें।

राज्य में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार के रूप में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त से लेकर सहायक कलेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को उनके श्रेष्ठतम निर्णयों के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे चयनित श्रेष्ठतम निर्णयों को राविरा पत्रिका में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्व मंडल के स्तर पर हर जिले से एक श्रेष्ठतम तहसीलदार सम्मान एवं जिला स्तर पर हर तहसील से एक श्रेष्ठतम भू–अभिलेख निरीक्षक व श्रेष्ठतम पटवारी का चयन कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था भी की गई है।

मैं आशा करता हूं कि राज्य में लोक सेवाओं के दृष्टिकोण से आप अपनी पूर्ण निष्ठा व कार्यदक्षता का पूर्ण परिचय देते हुए आदर्श वातावरण का निर्माण करेंगे तथा अपने कार्यस्थल एवं पद की गरिमा को नयी ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगे।

शुभकामनाएं।

(राजेश्वर सिंह)

अध्यक्ष

संपादकीय..

सम्मानित पाठकगण,

राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिये राजस्व मंडल के स्तर पर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में करीब साढ़े पांच लाख से अधिक राजस्व प्रकरण विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लम्बित हैं। राज्य सरकार की आम जन को त्वरित न्याय दिलाने की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए लम्बित वादों में कमी लाने के लिये राजस्व अदालतों का नियमित आयोजन, प्रकरणों का भली–भांति अध्ययन करने के साथ ही उनका विधिसम्मत एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु प्रभावी प्रयासों की जरूरत है।

माननीय राजस्व मंडल अध्यक्ष की नवाचारी पहल पर राज्य की विविध स्तरीय राजस्व अदालतों की सेवाओं में गुणात्मक सुधार के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण, विधिसम्मत निर्णय लेखन के लिये कार्यशालाएं, निबंध लेखन प्रतियोगिता, श्रेष्ठ निर्णय लेखन सम्मान, श्रेष्ठ तहसीलदार सम्मान आदि महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। आप सभी को अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

राज्य में आम जन को राजस्व सेवाओं की सहज सुलभता को लेकर सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। राज्य की 369 में से 301 तहसीलों को ऑनलाइन किया जाकर ई–हस्ताक्षरित खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण, राजस्व नक्शे जारी किये जाने की सुविधा सहज ही उपलब्ध हो पा रही है।

राजस्व मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 के लिये आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में 716 पटवारियों को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। निश्चय ही इससे राजस्व दायित्वों को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से राज्यभर में प्रशासन गाँवों के संग शिविरों में श्रेष्ठ कर्तव्य निष्पादन एवं उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन के लिये शुभकामनाएं।

डॉ. मोहन लाल यादव
निबंधक

कविता

देश ही आराध्य है

–राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

स्वच्छ हो परिवेश अपना,
स्वास्थ्य के प्रति चेतना हो।
हो सुपोषण मातृशिशु का,
और संरक्षण घना हो ।।
ज्ञान का अर्जन सुगम हो,
खेल से मजबूत तन हो।
सरस संस्कृति संचरण हो,
सुखद सुन्दर बालपन हो ।।
ज्योति हो जन तक प्रवाहित,
जल समुच्चय की विधि हो।
राजमार्ग प्रशस्त सुदृढ़,
इससे बढ़कर क्या निधि हो ।।
खेल और खलिहान में संपन्नता हो,
कारखानों में सघन सक्रियता हो ।
हो सभी उत्पाद निर्मित, गुण समन्वित,
विश्व के बाजार में अपनी छटा हो ।।
उच्च शिक्षा, उच्च कौशल का प्रशिक्षण,
अद्यतन हो बोध, इसका शोध प्रतिक्षण।
स्वस्थ मन हो, सबल तन हो, ध्येय सेवी
युवजनों का देश हो, प्रतिभा विलक्षण ।।
प्रकृति के सौन्दर्य से भरपूर धरती,
गढ़, किले, मठ और मन्दिर से संवरती।
संस्कृति के विविध रूपों का सृजन हो,
भाव, चिन्तन, कल्पनाओं का गगन हो।।
श्रेष्ठतम हो देश, हो बहुमान अपना,
इसलिए बहुविध परिश्रम साध्य है।
क्षेत्र, जाति समूह हो या सम्प्रदाय,
वह नहीं बस देश ही आराध्य है।।

जागीर एक्ट – खुदकाश्त खातेदारी एवं आवंटन (भाग –2)

घनश्याम सिंह देवल
का. नायब तहसीलदार, जयपुर

जागीर एक्ट के प्रथम भाग में जागीर एक्ट के कारण, उद्देश्य एवं प्रावधानों के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस भाग में जागीरदारों के हक व उनके खुदकाश्त भूमि के आवेदन एवं आवंटन के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जागीरदारों की खुदकाश्त भूमियां

जागीरदारों के पास तत्कालीन स्टेट से जो भी जागीर प्राप्त होती थी उस जागीर भूमि में से कुछ भूमियां स्वयं जागीरदारों के पास स्वयं के उपयोग एवं खेती के लिए धारित की जाती थी एवं शेष भूमि किसानों को लगान के आधार पर काश्तकारी के लिए दी जाती थी। किसानों को जो भूमि काश्तकारी के लिए दी जाती थी, उस भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व से राज्य की आय होती थी। कतिपय भूमि जागीरदार अपने स्वयं के उपयोग के लिए खुदकाश्त में धारण करते थे। जब जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम प्रभाव में आया तो जागीरदारों के उनके अपने स्वयं के उपयोग की भूमि को उनकी खातेदारी में देने के लिए प्रावधित किया गया। जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि को अलाट करने एवं उनके प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 13 में खुदकाश्त कमिश्नर की नियुक्ति की गई।

''**खुदकाश्त भूमि**'' से आशय ऐसी भूमियों से रहा है जो किसी जागीरदार द्वारा वैयक्तिक रूप से जोती जाती रही है और इसके अन्तर्गत खुदकाश्त, सीर, हवाला के रूप में बन्दोबस्त में अभिलिखित भूमि तथा जागीरदार को खुदकाश्त के रूप में आंवटित की गई भूमियां सम्मिलित है।

''**जागीरदार**'' से आशय विद्यमान जागीर विधि के अधीन जागीरदार के रूप में मान्य कोई व्यक्ति है तथा इसके अन्तर्गत किसी जागीरदार से जागीर भूमि का अनुदानग्रहीता भी आता है। धारा 4 की व्याख्या के अनुसार जागीर भूमि का कोई अनुदानग्रहीता अनुदान के सम्बन्ध में ऐसे जागीरदार को कोई राशि देने का दायी नहीं था।

''जागीर भूमि'' से ऐसी भूमि का आशय था जिसमें या जिसके सम्बन्ध में कोई जागीरदार भू राजस्व या किसी अन्य प्रकार की आमदनी सम्बन्धी अधिकार रखता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट भौमिक अधिकारों में से किसी पर भी धारित कोई भूमि आती है। प्रथम अनुसूची के अनुसार राज्य में कुल 45 प्रकार के भौमिक अधिकार वर्ग को जागीर भूमि माना गया है।

खुदकाश्त के आंवटन के लिए आवेदन पत्र

कोई जागीरदार जिसके पास 1 जुलाई 1954 को कोई भी खुदकाश्त नहीं थी अथवा इस अधिनियम की धारा 18 के विनिर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की खुदकाश्त भूमि थी, 31 अगस्त 1958 तक या पुनर्ग्रहण की तारीख के तीन माह के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, कलक्टर या खुदकाश्त भूमियों के आयुक्त को खुदकाश्त भूमि के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत आवंटन के लिए आवेदन करने की व्यवस्था दी गई थी। प्रत्येक जागीरदार को एक विहित आवेदन पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वादपत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें सत्यापित करने के लिए उपबन्धित रीति से उस पर हस्ताक्षर करने तथा सत्यापित किया जाना अपेक्षित किया गया है।

जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 के नियम 10 में आवेदन पत्र का प्रारूप–3 दिया गया है जिसमें वर्णित की जाने वाली विशिष्टियां दी गई है। इस नियम के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियों में प्रमुख निम्न है–

1. जागीर का नाम, तहसील एवं जिला
2. जागीर की अनुमानित कुल आय
3. जागीर के गांवों के नाम
4. जागीरदार, उपजागीरदार की विशिष्ठियां, हिस्सा प्रतिशत, जाति एवं पता
5. जागीरदार के परिवार में निर्भर सदस्यों की संख्या
6. विद्यमान खुदकाश्त भूमि का विवरण (उन गाँवों में जहां खुदकाश्त स्थित है)–
7. (अ) कुओं से सिंचित, (ब) टैंक तालाबों से सिंचित, (स) नहरों से सिंचित, (द) तालाब पेटा, (य) ढहरी, (र) सैलाबी, (ल) बारानी या असिंचित जिनमें एक फसली पैदावार होती है, (व) घास के मैदान, (श) बंजर एवं गैर मुमकिन भूमियां

8. उस गांव या गाँवों का नाम जहां खुदकाश्त भूमि आवंटन चाहा गया है

9. विशेष विचार किये जाने के लिए यदि कोई आधार हो तो उन आधारों का विवरण

10. धारा 19 के तहत खुदकाश्त भूमि आवंटन हेतु भूमि श्रेणियों की विशिष्ठियां–

(1) काश्तकारों द्वारा समर्पित भूमियां

(2) काश्तकारों द्वारा परित्यक्त कर दी गई भूमियां

(3) 1948 से खुदकाश्त के रूप में जोती जा रही भूमियां जो बाद में लीज पर दी गई है

(4) अनाधिवासित कृषि योग्य भूमियां

(5) पड़ौसी गांवों में अनाधिवासित भूमियां

(6) नदी घाटी परियोजना से सिंचित भूमियां

(7) जागीर से बाहर कोई अन्य कृषि योग्य अनाधिवासित भूमि प्रत्येक श्रेणी की भूमि पहचान के लिए, जिनके आवंटन के लिए दावा किया गया है, गांव का नाम, क्षेत्रफल, खसरा नम्बर एवं अन्य विशिष्टियां प्रदान किया जाना आवश्यक है।

11. आवेदक के हस्ताक्षर

12. प्रार्थना पत्र का सत्यापन

13. आवेदक के हस्ताक्षर

14. आवेदन की तिथि

15. अभिशंषा/आदेश एवं

16. आवेदन अभिप्राप्ति क्रमांक एवं रसीद

खुदकाश्त भूमि का आवंटन

धारा 14 के तहत प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र की समुचित जांच करने, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय जागीर भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जाने या जागीरदार के परिवार के सदस्यों सहित धारा 18 में दिये गये मापमान के अनुसार भूमि धारण करने की स्थिति में आवेदन पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। मंजूर किये जाने वाले मामलों में कलक्टर खुदकाश्त भूमि आवंटन के लिए खुदकाश्त आयुक्त को

अपनी अभिशंषा करेगा। खुदकाश्त आयुक्त द्वारा प्रकरण में जो आदेश प्रदान किये जावे, कलक्टर यथाशक्य ऐसे आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

धारा 18 में खुदकाश्त के अधिकतम के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले खुदकाश्त के रूप में धारित किसी भूमि सहित आवंटित भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल की सीमाएं–

क) जहां जागीर 60 एकड़ से अधिक नहीं है वहां उस क्षेत्रफल के आधे से अधिक नहीं,

ख) जहां जागीर क्षेत्रफल 60 एकड़ से 200 एकड़ है, वहां (क) के अतिरिक्त अधिक क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं,

ग) जहां जागीर क्षेत्रफल 200 एकड़ से 500 एकड़ है, वहां (क) एवं (ख) के तहत अनुज्ञेय क्षेत्रफल के बाद अधिक क्षेत्र है उसका 15 प्रतिशत

घ) जहां जागीर क्षेत्रफल 500 एकड़ से 1000 एकड़ है, वहां (क) (ख) एवं (ग) के तहत अनुज्ञेय क्षेत्रफल के बाद अधिक क्षेत्र है उसका 10 प्रतिशत

ङ) जहां जागीर क्षेत्रफल 1000 एकड़ से अधिक है, वहां (क) (ख) (ग) एवं (घ) के तहत अनुज्ञेय क्षेत्रफल के बाद अधिक क्षेत्र है उसका 5 प्रतिशत से अधिक नहीं तथापि इस प्रकार आवंटित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक नहीं होगा।

इस धारा में एक एकड़ भूमि में एक एकड़ असिंचित भूमि अभिप्रेत है तथा एक एकड़ सिंचित भूमि तीन एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझी जायेगी। यह भी दिया गया है कि जहां किसी जागीरदार के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय उसमें विनिर्दिष्ट अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक खुदकाश्त भूमि है, वहां ऐसी भूमि खुदकाश्त के रूप में उसके पास बनी रहेगी।

दिनांक 01.04.2011 के बाद खुदकाश्त के रूप में आवंटन की जाने वाली भूमियां केवल इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम–2 के भीतर भीतर ही आवंटित की जायेगी। दिनांक 01.04.2011 से पूर्व धारा 19 के अनुसार निम्न प्रवर्ग की भूमियां ही आवंटित की जा सकती थी –

1. काश्तकारों द्वारा समर्पित भूमियां

2. काश्तकारों द्वारा परित्यक्त कर दी गई भूमियां

3. 1948 से खुदकाश्त के रूप में जोती जा रही भूमियां जो बाद में लीज पर दी गई है

4. अनाधिवासित कृषि योग्य भूमियां

5. पड़ौसी गांवों में अनाधिवासित भूमियां

6. नदी घाटी परियोजना से सिंचित भूमियां

7. जागीर से बाहर कोई अन्य कृषि योग्य अनाधिवासित भूमि।

यह भी तर्क दिया गया था कि यदि उक्त विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां खुदकाश्त के आवंटन के लिए दिया गया आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा।

इस प्रकार जागीरदारी उन्मूलन पर जागीर विधि के तहत जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि का आवंटन किये जाने के लिए अध्याय 4 में एक पूर्ण विधि दी गई है। आज भी जागीर भूमि से सम्बन्धित कई वाद माननीय राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं तथा कई आवेदन पत्र आज भी लम्बित हैं। इनका निस्तारण गुणावगुण तथा नियमों में दी गई व्यवस्था के तहत किया जाना अपेक्षित है।

***

भूमि खसरा संख्या का विज्ञान

The science of land khasra number

डॉ. गिरवर सिंह राठौड़
(Ex. RTS)
Ph.D., D.ltte.
Sr. Fellow (ICSSR)

परिचय

[Introduction]

भूमि का राजस्व मानचित्र – भूमि की शक्ल/क्षेत्र का सूचकांक [index of the field] होता है। मानचित्र में अनेक आकृतियां व उसकी संरचना [shape/structure] होती हैं। इन आकृतियों का परिचय/बोध [knowledge] कराने हेतु सांकेतिक नम्बर दिये जाते हैं। ये सांकेतिक नम्बर/प्रतीकात्मक [symbolic number] भूमि अभिलेख के जिस प्रारूप (प्रपत्र) में लिखा जाता है। उसे ''खसरा'' कहते हैं। यह राजस्व प्रशासन का प्रथम अभिलेख होता है, क्योंकि इस खसरे के प्रथम कॉलम में यह सांकेतिक नम्बर/प्रतीकात्मक [symbolic number] लिखा जाता है। इसी के आधार पर इसे सांकेतिक नम्बर/प्रतीकात्मक कहा जाता है। खसरा राजस्व मानचित्र की शक्ल [index of the map] होता है, जिसमें खसरा नम्बर की विशेषताएं/लक्षण [characteristics] बताई जाती हैं। जैसे –उस खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (रकबा) भूमि वर्ग [soil classification] खाता संख्या [account number] काश्तकार का वर्ग आदि का वर्णन होता है। जो एक प्रकार से खसरा संख्या का DNA बताता है।

खसरा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 112 के अन्तर्गत तैयार किया जाना आवश्यक है। खसरा भू–प्रबन्ध अभिलेख में एक बुनियादी (आधारभूत) अभिलेख है या दूसरे शब्दों में खसरा भू–प्रबन्ध की नींव [foundation] है। ये कहा गया है कि खसरे में जो भी लिखा जाए वह मौके के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात मानचित्र में क्रम से दिये गये खसरा नम्बरों के अनुसार विवरण लिखा जाना चाहिए।

ग्राम का राजस्व नक्शा जिसे सजरा भी कहते हैं। भू–अभिलेख की पहली सीढ़ी होता है। इसके बिना किसी भी भू–अभिलेख की तैयारी संभव नहीं है। यह भू–अभिलेखों का मार्गदर्शक है। जिसे भू–प्रबंध के समय तैयार किया जाता है। इसमें ग्राम के प्रत्येक खेत व आकृति की सीमायें बताई जाती है। प्रत्येक मौके की स्थिति का अंकन नक्शे में होता है तथा नक्शे की प्रत्येक आकृति में सर्वे नम्बर डाले जाते हैं। जिन्हें बाद में खसरा नम्बर या फील्ड नम्बर के नाम से जाना जाता है।

मानव शरीर में कोशिका [Cell] की रचना के दो अंग [Organs] होते हैं, एक कोशिका [Cell Wall] और दूसरा केन्द्रक/नाभिक [Nucleus] उसी प्रकार खसरा संख्या [Survey Number/Parcel Number] की संरचना के भी दो अंग हैं – एक खसरा संख्या की हदबंदी (सीमा) दूसरा केन्द्रक के रूप में खसरा संख्या। मानव कोशिका के केन्द्रक में गुणसूत्र [chromosome] व इसमें DNA-RNA होते हैं। उसी प्रकार की विशेषता खसरा नम्बर लिये हुए होता है, जैसे उसका क्षेत्रफल, भूमि वर्ग, मालिकाना हक और उसका स्वरूप।

भूमि खसरा संख्या का अर्थ

[menaing of land khasranumber] :

खसरा शब्द ईरानी/फारसी शब्द है। जिसका अर्थ एक भूखण्ड या सर्वेक्षण की संख्या से है, जो राजस्व गांवों के नक्शों में भूमि के एक विशेष टुकड़े को दिया गया एक भूखण्ड या सर्वेक्षण संख्या है।

इसकी संक्षेप में परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि राजस्व मानचित्र में सिलसिलेवार/क्रमबद्ध [sequentially] प्रत्येक आकृति [shape] को सही नम्बर डालने की क्रिया को नम्बर अंदाजी/भूखण्डों का संख्यांकन [number guess] कहते हैं।

यह शब्द भू–राजस्व प्रशासन में बार–बार उपयोग में आता है, जब भू–अभिलेखों का ऑन–लाइन या ऑफ–लाइन अध्ययन किया जाता है। खसरा नम्बर भूमि के भूखण्डों को पहचान दिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिससे राजस्व गांवों में भूखण्डों का क्षेत्रफल, भूमि वर्ग, खातेदार काश्तकार [account holder tenant] का विवरण प्राप्त करने में आसानी होती है। खसरा (खसरा) जिसे कभी–कभी खेसरा के रूप में भी लिखा जाता है। शब्दकोष में अगर खसरे का अर्थ ज्ञात किया जाये तो इसके दो अर्थ निकलते हैं– एक भूमि के भूखण्ड को पहचान देने के लिए नम्बर देना, जिसे खसरा नम्बर कहा गया। दूसरा खसरे से तात्पर्य एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से प्रेरित बीमारी जिसे हिन्दी में भारत में 'चेचक' (शीतला रोग) के नाम से जाना जाता है लेकिन अंग्रेजी में इन दोनों को Measles शब्द से जाना जाता है। अतः जब हम गूगल पर इस शब्द का अर्थ देखते हैं तो खसरे शब्द का अर्थ खसरे शब्द के रूप में अनुवाद करता है। जो एक सामान्य गलती है। अर्थ ज्ञात करने वाला अवश्य भ्रमित हो जाता है।

खसरा नम्बर का महत्व

[importance of the survey number]

भूमि का सर्वे करने के उपरान्त सर्वे के अनुसार बनाई गई क्षेत्र पुस्तिका [field book] के अनुसार नक्शा तैयार किया जाता है। नक्शे की शीट में भूमि की अनेक आकृतियां जैसे– खेत, नदी, नाले, तालाब, रास्ता इत्यादि बनती हैं जिन्हें क्रम से नम्बर दिये जाते हैं ताकि जिस आकृति के नम्बर का ज्ञान कराया जाये उसी आकृति का ही संज्ञान होता है। बाकी आकृतियों का नहीं। इस क्रिया से खेत की खोज [search] करने में बहुत सुविधा होती है। इसका महत्व उस समय और भी हो जाता है जब किसी बड़े गांव के मानचित्र में खेतों को खोजा जाए। इसका परिणाम यह होता है कि इसके आधार पर खसरा अभिलेख में इस नम्बर का पूर्ण विवरण शीघ्र अति शीघ्र ज्ञात हो जाता है।

भू–माप करने के पश्चात जो मानचित्र उस स्थान का बनाया जाता है उसमें निर्धारित माने हुए पैमाने से प्लाट करने पर वैसी आकृति मानचित्र में बन जाती है जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि जो स्थान हमने मानचित्र में बनाया है वह किस जगह पर है इसके अवलोकन से मौका (निश्चित आकृति क्षेत्र) को पहचानने में आसानी होती है। मानचित्र को देखने से यह तो ज्ञात हो जाता है कि यह स्थान जो मानचित्र में है वह किस स्थान का है पर उसका पूर्ण विवरण उससे ज्ञात नहीं होता क्योंकि राजस्व नक्शे में अनेक आकृतियां बहुत छोटी और बड़ी होती हैं जिसका पूर्ण विवरण मानचित्र में लिखना असम्भव है। यही कारण था कि तत्कालीन राजस्व प्रशासन के वैज्ञानिकों ने उन मानचित्र में उन आकृतियों को पहचानने के लिए नम्बर डालने की प्रक्रिया को अपनाया। जिससे उन आकृतियों के नम्बरों का पूर्ण विवरण किसी अन्य अभिलेख में लिखा जा सके। यह अभिलेख बाद में खसरा कहलाया।

ऐतिहासिक परिणाम

[historical development]

मुगलकालीन भू–राजस्व प्रशासन जो 500 वर्ष से चला आ रहा है वह अब समाप्ति की ओर है और नया आधुनिक भू–राजस्व प्रशासन शैशव काल [childhood] से किशोर अवस्था की ओर (यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें थोड़ा–थोड़ा दिन और थोड़ी–थोड़ी रात का आभास होता है) की ओर अग्रसर हो रहा है।

राजस्व प्रशासन के ऐतिहासिक परिणामों को चार खण्डों में विभक्त कर इसकी यात्रा को बताया जा सकता है– प्राचीनकाल [ancient time] जिसमें गुप्त व मौर्यकाल आता है। दूसरी यात्रा मुगलकाल की है जो सन 1556 से प्रारम्भ हुई तीसरी यात्रा ब्रिटिश शासन

के समय की है जो 1858 से प्रारम्भ हुई और चौथी यात्रा जिसे डिजिटल यात्रा [digital journey] कहा जाता है। यह 1990 से प्रारम्भ हुई लेकिन विशेष प्रभाव इसका 2018 से देखा जाता है।

प्राचीन समय में जो राजस्व अभिलेख भूमिकर [land tax] के लिए तैयार किये जाते थे। अर्थात भू–राजस्व/लगान का संग्रह करने के लिए जो अभिलेख बनाये जाते थे उनमें खेतों/कृषि क्षेत्रों [farms] को नाम से लिखा जाता था क्योंकि उस समय काश्त की जाने वाली भूमि कम होती थी और काश्त करने वाले लोग भी कम होते थे इसलिए उनका विवरण खेतों के नाम से अभिलेखों में लिखा जाता था।

मुगलकाल में टोडरमल ने भूमि का सर्वे कर कृषि योग्य भूमि का विवरण खसरा नामक अभिलेख में तो अंकित किया अर्थात खसरा नामक अभिलेख मुगलकालीन शासन की देन है। लेकिन इस समय में भी खेतों को नाम से जाना जाता था खसरा संख्या से नहीं। खसरे में केवल खेत की नाप जो चारों तरफ की लिखी जाती थी जिसके आधार पर उस खेत का क्षेत्रफल निकाला जाता था और क्षेत्रफल के आधार पर या उस खेत में उत्पन्न हुई फसल की लटाई या बटाई करके भूमिकर (लगान) [rent] को लिखा जाता था।

व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक तरीके से [scientific method] खसरा संख्या लिखने का प्रारम्भ ब्रिटिश शासन काल 1854 में तब हुआ जब भूमि की नाप सर्वे यंत्रों से करके भूमि का मानचित्र ग्राम अनुसार तैयार किया गया और इस भूमि के मानचित्र में भूमि की आकृति को पहचान देने के लिए खसरा प्रपत्र में खसरा नम्बर डाले गये ताकि प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल व उसके भूमि वर्ग जैसे – चाही, बारानी, बंजड़ के अनुसार लगान का निर्धारण प्रति बीघा के हिसाब से किया जा सके। ब्रिटिश समय की यह व्यवस्था वर्तमान तक चली आ रही है।

राजस्व मानचित्र में नम्बर अंदाजी करने का विधिक प्रावधान

[legal provision for guessing numbers in revenue map]

ब्रिटिश भारत में भूमि संबंधी जो पहली विधि बनी वो थी 'The Bombay Land Revenue Code, 1879' इस विधि में खसरा संख्या जिसे विधि में सर्वेक्षण संख्या [survey number] के नाम से जाना जाता है कि धारा–3 (6)में कहा गया है कि '' सर्वेक्षण संख्या का अर्थ जिसका क्षेत्र और मूल्यांकन पृथक–पृथक भूमि अभिलेखों में संकेतक संख्या के रूप में अंकित किया गया होगा। *["survey number".* - "survey number" means a portion of land of which the area and [assessment] are separately entered, under an indicative number in the [land records]

धारा–3 (7) में खसरा नम्बर का उप–विभाजन [sub division] को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जिसमें कहा गया है कि एक खसरा नम्बर का एक हिस्सा जिसका क्षेत्र और निर्धारण पृथक–पृथक अभिलेखों में एक संकेतात्मक संख्या के अन्तर्गत अंकित किया जाता है। वो उस खसरा नम्बर (सर्वेक्षण संख्या) के अधीनस्थ [sub ordinate] होता है। ["sub-division of a survey number". - [sub-division of a survey number" means a portion of a survey number of which the area and assessment are separately entered in the land records under an indicative number subordinate to that of the survey number of which it is a portion;]

राजस्थान की भूमि विधियों में खसरा नम्बर को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 89 (ख) में यह कहा गया है कि इसी अधिनियम की धारा–88 घोषणात्मक दावों में भूमि–क्षेत्र [holding] के क्षेत्रफल, संख्यांकित प्लॉट [numbered plot] अर्थात खसरा नम्बर अथवा उसकी सीमाओं से संबंधित मामलों में दावे लाये जा सकते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर या उसकी सीमाओं (हदबंदी–demarcation) से संबंधित वाद (दावे–claims) लाये जा सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 141 च की उपधारा (3) में ये स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि भूमि के प्रत्येक टुकड़े को जिसे राजस्व मानचित्र में निर्धारित प्रकार से पृथक दिखाया गया है को एक संकेतात्मक [indecative] सर्वेक्षण संख्या [survey number] दिया जाएगा। जो भूमि के उस टुकड़े का सूचक, परिचायक होगा।

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख नियम 1957) में खसरा नम्बर के बारे में नियमों में निम्न प्रावधान हैः–

- नियम–60 में किस प्रकार से खसरा संख्या में संशोधन [correction] किया जाएगा का प्रावधान है।
- नियम–61, 65 से 68 में तितम्मा सजरा में अस्थाई खसरा संख्या किस प्रकार से अंकित किया जाएगा का प्रावधान है।
- नियम–62 में खसरा नम्बर के विभाजन हो जाने पर खसरा नम्बर किस विधि से डाले जाएंगे का प्रावधान है।
- नियम–65 में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दिये गये खसरा नम्बर व उसके नाम को डालने का प्रावधान है।
- नियम–66 में खेतों के विभाजन होने पर किस प्रकार से खसरा नम्बर डाले जायेंगे का प्रावधान बताया गया है।

- नियम–67 यह बताता है कि खेतों के विभाजन पर खसरा नम्बर डालने पर क्या प्रावधान होगा
- नियम–68 यह बताता है कि खेतों के एकीकरण [consolidation] होने पर किस प्रकार से खसरा नम्बर डाले जायेंगे।
- नियम–69 में यह प्रावधान है कि जब भूमि के मूल खसरा नम्बर की आकृति कछार या बाढ़ [alluvium or flood erosion तो खसरा नम्बर डालने का प्रावधान क्या होगा इसके बारे में प्रावधान नियम 389 में भी है।

भूमि खसरा संख्या –प्रक्रिया

[land khasra number - process]

परम्परागत व्यवस्था

[traditional system]

नम्बर अंदाजी/भूखण्डों के संख्यांकन की प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त कर बताया जा सकता है – प्रथम प्रक्रिया परम्परागत प्रक्रिया है जो ब्रिटिश समय में प्रारम्भ हुई और उस समय तैयार भूमि विधि विशेष रूप से भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों में इसका उल्लेख किया गया। परम्परागत नम्बर डालने की व्यवस्था को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि एक मानचित्र में अनेक आकृतियां हो सकती हैं जिनकी संख्या 100 से लेकर 7–8 हजार तक हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या की आकृतियों में यदि नम्बर इच्छानुसार [as desired] डाले जाते हैं। अर्थात जहां चाहें वहां नम्बर डाल दिये जाये तो आकृति के नम्बर को ज्ञात करने में काफी परेशानी व समस्या होने की संभावना है और इसके कारण यह भी हो सकता है कि कई आकृतियों में नम्बर डालने से ही चूक हो जाये। इस समस्या के निदान के लिए राजस्व प्रशासन के वैज्ञानिकों ने एक व्यवस्थित रूप से नम्बर डालने की प्रक्रिया को अपनाया है। इसमें पहला सिद्धान्त यह रखा गया है कि प्रत्येक मानचित्र के उत्तरी पश्चिमी कोने से सांकेतिक/प्रतीकात्मक नम्बर डालना प्रारम्भ करके क्रमानुसार आकृति के दक्षिणी पूर्वी कोने में समाप्त करने को अपनाया और इसी प्रक्रिया के अनुसार राजस्व मानचित्रों में नम्बरअंदाजी/भूखण्डों का संख्यांकन [number guess] की जाती है। इसका सबसे अधिक लाभ यह होता है कि आकृति का नम्बर ज्ञात करने में परेशानी नहीं होती और तुरन्त आसानी से नम्बर ज्ञात कर लिया जाता है।

राजस्व वैज्ञानिकों ने मानचित्र में नम्बर डालने में तीन बातों का ध्यान रखने का सुझाव दिया–

1. खेत/आकृति में नम्बर डालने की तुलनावृत्ति तो नहीं हुई है।
2. खेत/आकृति बिना नम्बर डाले तो नहीं रह गई है।
3. नम्बर डालते समय कोई कुदान [jump] तो नहीं हो गया है (कुदान से तात्पर्य बिना निर्धारित प्रक्रिया या क्रमबद्धता को अपनाये नम्बर डालना कुदान कहलाता है अर्थात किसी एक खेत के कोने से दूसरे खेत में नम्बर डालने को अथवा किसी खेत के नम्बर से कोई खेत छोड़कर अगले तीसरे खेत में नम्बर डालने को ही कुदान कहते हैं)।

सारांश में नम्बर अंदाजी/भूखण्डों का संख्यांकन करते समय निम्न बातों की सावधानी रखना आवश्यक है –

1) नम्बर अंदाजी हमेशा उत्तर पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर दक्षिणी–पूर्वी कोने पर समाप्त होनी चाहिए।
2) नम्बर अंदाजी करते समय नम्बर क्रम से एक से दूसरा नम्बर इस प्रकार डाला जाये कि जिसकी मेड़ उस खेत से मिलती हो जिसमें नम्बर डाला जा चुका है।
3) नम्बर अंदाजी करते समय नम्बर कुदान नहीं होना चाहिए।
4) जहां तक संभव हो नम्बर क्रमानुसार प्रायः एक [circle] या जाव [holding] या खातेदार [account holder] के क्रम से होना चाहिए। जिससे गश्त गिरदावरी [field inspection] करते समय आसानी हो।
5) यदि किसी गांव के कई नम्बरों में विवाद हो तो ऐसे नम्बरों को उस गांव से पृथक कर नम्बर दिया जाना चाहिए।
6) अगर नम्बर अंदाजी करते समय क्रम अनुसार नम्बर डालने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में नदी, नाला, रास्ता, पहाड़ आदि के टुकड़े [part] करके पृथक–पृथक नम्बर डाला जाना चाहिए।
7) यदि किसी खेत के मध्य में कुंआ, खड्डा इत्यादि की आकृति आती है तो उसमें पहले नम्बर डाला जाना चाहिए दूसरा नम्बर खेत में डाला जाना चाहिए।
8) नम्बर अंदाजी मौके पर [field] की जानी चाहिए।
9) एक कुएँ के अन्तर्गत आने वाले जाव (खेतों की संख्या) में नम्बर क्रम अनुसार

डाला जाना चाहिए।

10) यदि एक ही खातेदार के खेत एक ही जगह पर आ जाते हैं तो उनमें भी क्रमशः नम्बर डाले जाने चाहिए।

11) नम्बर डालते समय इस बात का निश्चित ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई खेत या आकृति उस मानचित्र में ऐसी ना रह जाये जिसमें नम्बर ना डाला गया हो या दुबारा नम्बर ना डाल दिया गया हो।

राजस्व मानचित्र में निम्न स्थितियों में खेत/आकृतियों में नम्बर अंदाजी की जानी चाहिए–

1) एक खेत में एक भाग कृषि योग्य (मजरूआ) व अकृषि योग्य भूमि (गैर मजरूआ) भूमि हो तो प्रत्येक भाग को पृथक–पृथक नम्बर दिया जाना चाहिए।

2) यदि खेत पड़त है अर्थात खेती नहीं हुई तो भी नम्बर दिया जाना चाहिए।

3) वन–विभाग की भूमि में एक चक का एक ही नम्बर डाला जाना चाहिए।

4) यदि कोई भूमि नाकाबिल चराई हो और गैर मुमकिन हो तो उसमें नम्बर पृथक–पृथक डाले जाने चाहिए और साथ ही चिन्ह भी दिखाये जाने चाहिए। जैसे – नदी, मन्दिर, कब्रिस्तान, आबादी, पहाड़, तालाब आदि।

5) जिन खेतों की मेड़ दो गट्ठे से अधिक की हो तो उसमें नम्बर पृथक से डाला जाना चाहिए।

6) ऐसे रास्ते जो पक्के हैं रेल, सड़क, नदी आदि जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो उनको पृथक से दिखाया जाना चाहिए।

निम्न स्थितियों में मानचित्र में बनी आकृति/खेतों में नम्बर अंदाजी/भूखण्डों का संख्यांकन नहीं की जानी चाहिए–

1) यदि एक खेत में कई हिस्सेदार हों तो उस खेत को एक ही दिखाया जाना चाहिए और एक ही नम्बर डाला जाना चाहिए।

2) यदि आकृति का क्षेत्रफल एक बिस्वा/ एक हेक्टेयर से कम है तो नम्बर नहीं डाला जाना चाहिए।

3) कच्चे रास्ते में नम्बर नहीं डाला जाना चाहिए।

4) ऐसे नाले जो बरसात में बन जाते हैं उन्हें भू–माप में पृथक से नहीं दिखाया जाना चाहिए और ना ही नम्बर डाला जाना चाहिए।

5) यदि एक खेत में विभिन्न फसलें अलग–अलग उत्पन्न की गई हैं तो उसमें पृथक–पृथक नम्बर नहीं डाले जाने चाहिए।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वेक्षण व अभिलेखन लेखन में साधारणतया भूखण्डों की संख्या एक से प्रारम्भ होकर पूरे ग्राम के समस्त भूखण्ड संख्यांकित होने तक क्रमानुसार संख्या में अग्रसर होती हैं इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा संधारित मानचित्र में भी भूमि अतिक्रमण, नियमन, भूमि कटाव तथा जल प्रवाह क्रिया से, क्षेत्र में परिवर्तन, विभाजन, विनिमय, एकीकरण आदि के फलस्वरूप होने वाले निरन्तर परिवर्तनों के कारण मानचित्र में क्षेत्रफल की शुद्धि के साथ भूखण्डों के संख्यांकन में संशोधन/परिवर्तन आवश्यक होता है। उल्लेखनीय है कि भूखण्ड संख्यांकन की प्रक्रिया समान होते हुए भी भू–प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली रीति/तरीके में अत्यन्त न्यून किन्तु महत्वपूर्ण अन्तर है। यह अन्तर वहां स्पष्ट होता है जब भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयार मानचित्र का अवलोकन करते हैं और किन्हीं भूखण्डों में भूखण्ड संख्यांकन करने में हुई चूक के उपरान्त जब बटा नम्बर डाला जाता है तो पास वाले खेत का नम्बर नीचे डाला जाता है और ऊपर गांव के अन्तिम खसरा नम्बर का नम्बर डाला जाता है जैसे – पास वाले भूखण्ड का नम्बर 24 है और गांव का अन्तिम नम्बर 150 है तो नम्बर से अवशेष भूखण्ड का नम्बर होगा 25/150 जबकि राजस्व विभाग के द्वारा जब मानचित्र का संधारण भविष्य में किया जाता है और नये नम्बर डालने की आवश्यकता होती है तो राजस्व विभाग के द्वारा नम्बर डालने की प्रक्रिया उल्टी होती है अर्थात गांव का अन्तिम खसरा नम्बर के अगला वाला नम्बर ऊपर डाला जाता है जैसे –एक खेत नम्बर 24 है और उसका दो भागों में बंटवारा हुआ है और गांव के नक्शे में आखिरी खसरा नम्बर 150 है तो अगले दो नम्बर 151/24 तथा 152/24 होगा (नियम–62)। इस आंशिक नम्बर डालने के इस आंशिक अन्तर से यह ज्ञात होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कौनसे नम्बर डाले गये हैं और राजस्व विभाग के द्वारा भू–प्रबन्ध के बाद मानचित्र में कौनसे नम्बर डाले गये हैं। नम्बर अंदाजी का कार्य भू–प्रबन्ध विभाग में निरीक्षकगण गई बार अमीनों पर छोड़ देते हैं और उन्हें इसका अधिक ज्ञान ना होने के कारण से अनेक गलतियां हो जाती हैं। परिणाम नम्बर अंदाजी गलत हो जाती है। ये स्थिति तहसील प्रशासन में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के मध्य की है। यहां भी भू–अभिलेख निरीक्षक को नम्बर अंदाजी करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्तमान समय में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण भूमि की मांग और महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। खेतों के अनेक टुकड़े हो गये हैं, राजकीय खाते की सिवायचक भूमि भी छोटे–छोटे भूखण्ड बनाकर भूमिहीन कृषकों को आवंटित की जा चुकी

है। बड़े रूप में गैर मुमकिन कृषि अयोग्य भूमियां कृषि योग्य परिवर्तित हो गई हैं। जिससे नक्शे में तरमीम (परिवर्तन) करना आवश्यक हो जाता है।

खसरा नम्बर की डिजिटल यात्रा

[digital journey of khasra number]

संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई UNICEF की अनुशंसा पर विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से विकासशील देशों में जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भू–अभिलेखों जिसमें राजस्व मानचित्र भी सम्मिलित है, डिजिटल यात्रा प्रारम्भ हुई। व्यस्थित रूप से भारत में यह यात्रा 2017–2018 से प्रारम्भ हुई। भारत में भू–अभिलेखों के लिये digital india land record modernization programme[DILRMP] के अन्तर्गत राजस्थान में जिन तहसीलों के भू–अभिलेख ऑनलाइन हो चुके हैं उन तहसीलों में नामान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर में जो नवीन बट्टा नम्बर डालने की प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है वह सही प्रतीत नहीं होती है। बटा नम्बर डालने की प्रक्रिया राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (iv) (क) नियम 66 के अनुसार की जाती है। जिसके अनुसार अगर किसी खेत के दो हिस्सेदार अपना खेत विभाजित करते हैं तो उनमें दो खसरा नम्बर डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लें कि गांव का अन्तिम खसरा नम्बर 150 है और वर्तमान खसरा नम्बर 25 है तो नये नम्बर क्रमशः 151/25 व 152/25 होंगे। लेकिन वर्तमान में नामान्तरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर द्वारा नवीन खसरा नम्बर डाले जा रहे हैं। वे इस प्रकार से हैं –माना खसरा नम्बर 151/25 जिसका रकबा 2.00 हेक्टेयर है में से 0.80 हेक्टेयर भूमि A को एवं 0.40 हेक्टेयर भूमि B को विक्रय पत्र द्वारा कर दी जाती है तो अन्तिम खसरा नम्बर से आगे 153/25 रकबा 0.80 हेक्टेयर एवं शेष रकबा का खातेदार के नाम सॉफ्टेयर सिस्टम द्वारा नवीन खसरा नम्बर 154/153 स्वतः दर्ज हो रहा है। ठ के नाम नामान्तरण की अवधि में सॉफ्टेयर सिस्टम द्वारा नवीन खसरा नम्बर 155/153 रकबा खसरा नम्बर दर्ज होकर फिर से शेष रकबे का मूल खातेदार के नाम सॉफ्टेयर द्वारा नवीन खसरा नम्बर 156/154 दर्ज हो रहा है। इस प्रक्रिया से खसरा नम्बर 25 एवं 151/25 विलोपित हो गये हैं। इससे स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर की इस व्यवस्था से मूल नवीन खसरा नम्बर विलोपित हो रहे हैं और अगर खसरा नम्बर का इसी प्रकार से किन्हीं कारणों से विभाजन होता रहा तो मूल खसरा नम्बर को मानचित्र में तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो नक्शे में नम्बर अंदाजी की प्रक्रिया नियमों में स्थापित है वह मानचित्र में खसरा नम्बरों का क्रम बदल जाएगा। अतः वर्तमान में स्थापित इस ऑनलाइन व्यवस्था की शीघ्रता से समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

शोध अध्ययन में राजस्व मानचित्र व उसमें स्थापित वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये गये हैं–

भारत में वर्तमान में स्थापित भूमि अभिलेख प्रबंध प्रणाली का अवलोकन करने के साथ ही वर्तमान में प्रचलित भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की परियोजना जिसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का अध्ययन व विश्लेषण विभिन्न राज्यों में करने के उपरांत इस कार्यक्रम में जो कमियां प्रतीत हुयीं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार के प्रयासों के साथ एवं भूमि अभिलेख विशेषज्ञों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करते हुए आधुनिक भूमि अभिलेख को जन्म देना है।

उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ही जोनेटा की इस प्रायोगिक परियोजना को प्रयोग में लिया गया है। इस प्रायोगिक परियोजना जिसे भविष्यसूचक परियोजना का नाम दिया गया, के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किया गया है।

1. उपलब्ध ग्राम जोनेटा का राजस्व (भूमि कर) मानचित्र का डिजीटलाइजेशन करना।
2. मानचित्र में अंकित सर्वे, खसरा, प्लॉट नं. जो हिन्दी में अंकित है, उन्हें अंग्रेजी भाषा में अंकित करना।
3. उपलब्ध मानचित्र में से स्थापित के लिए बटा खसरा या सर्वे संख्या को हटाने के लिए संपूर्ण ग्राम के मानचित्र में पुन: आकृतियों में नम्बर अंदाजी (खसरा नं.) करना ताकि मानचित्र में बटा न रहे।
4. संपूर्ण ग्राम के मानचित्र का वर्तमान में उपलब्ध खसरा सर्वे नंबरों का प्रस्तावित नवीन नंबरों से तुलनात्मक विवरण (मिलान खसरा क्षेत्र) तैयार करना जिससे स्पष्ट हो सके कि वर्तमान खसरा नं. क्या है और उनके नवीन खसरा नं. क्या हैं?
5. ग्राम के मानचित्र की प्रत्येक आकृति (प्रत्येक खसरा नं. या प्लॉट नं. या सर्वे नं.) की पृथक से कम्प्यूटर की सहायता से आकृति बनाना और आकृति को कम्प्यूटर के माध्यम से समस्त भुजाओं व कोणों की दूरी अंकित करना, जिसे FMB अर्थात Field Management नाम दिया गया।
6. कम्प्यूटर के माध्यम से संपूर्ण ग्राम के मानचित्र व पृथक–पृथक की गयी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना और उस क्षेत्रफल की तुलना अधिकार अभिलेख (record of right) (ROR) में अंकित क्षेत्रफल से करना जिससे यह ज्ञात हो जाए कि मानचित्र के द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल व जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल में क्या कोई विरोधाभास हैं।

भूमि खसरा नम्बर – विभाजन – पुनर्गठन प्रक्रिया : प्रस्तावित नवीन प्राविधि

[proposed new technology: land survey number- division - restructuring process]

ऊपर हमने स्पष्ट किया गया है कि राजस्व मानचित्र में डाले गये या स्थापित बटा खसरा नम्बर को समाप्त करके उपलब्ध मानचित्र में नवीन प्रकार से क्रमबद्ध रूप से नम्बरअंदाजी निर्धारित नियमों के अनुसार करके बटा नम्बर को समाप्त किया जाना चाहिए साथ ही पुनः राजस्व ग्राम के मानचित्र का पुनः खसरा नम्बर अनुसार मिलान खसरा नम्बर बनाया जाना चाहिए। इससे मानचित्र में एक क्रम से खसरा नम्बर अंकित हो जायेंगे।

भविष्य में मानव व्यवहार के कारण जब खसरा नम्बर का विभाजन करना सम्भव हो तो उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार अपनाई जाना प्रस्तावित है। माना कि खसरा नम्बर 252 है और इसका विभाजन हमें 4 भागों में करके खसरा नम्बर अंकित करना है तो प्रत्येक आकृति का खसरा नम्बर क्रम से इस प्रकार रखा जाये 252–01, 252–02, 252–03, 252–04, इस प्रकार की गई नम्बर अंदाजी से स्पष्ट होता है कि मूल खसरा नम्बर हमेशा स्थापित रहेगा उसका जैसे विभाजन होता रहेगा डेश के बाद की क्रम संख्या में वृद्धि होती जाएगी।

इसी प्रकार यदि खसरा संख्या 252–02 का पुनः विभाजन दो भाग में हो गया है तो डेश के आगे की अगली क्रम संख्या अर्थात 252–05 व 252–06 हो जाएगी और खसरा नम्बर के विभाजन का यह क्रम निरन्तर चलता रहेगा। जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मूल खसरा नम्बर का जो भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा दिया गया वर्तमान तक कितने भागों में विभाजन हो गया है।

इसी प्रकार यदि विभाजित दो आकृतियां एक हो जाती हैं जैसे 252–05 व 252.06 तो उसमें नम्बर अंदाजी इस प्रकार की जा सकती है 252–05+06 इस प्रक्रिया में मूल खसरा नम्बर 252 अस्तित्व में बना रहता है और ज्ञात होता है कि आकृति संख्या 05+06 का भू– भाग आपस में मिल गया है।

उपरोक्त प्रक्रिया नम्बर अंदाजी की साधारण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का उपयोग मानचित्र में तरमीम कार्य करने व नवीन खसरा नम्बर डालने हेतु किया जा सकता है।

***

भू–अभिलेख आधुनिकीकरण महाअभियानः राजस्थान रच रहा है इतिहास पलक झपकते हो रहे अन्नदाताओं के काज

पवन शर्मा
पीआरओ

राजस्थान भूमिपुत्रों के कल्याण के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य की आम जनता से संबंधित सेवाओं को सरकार के स्तर पर सहज सुगम और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने को लेकर लिए दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। इसी का परिणाम है कि अब पलक झपकते ही अन्नदाता व भूमिधारकों के काम अब सहज ही हो रहे हैं।

राजस्थान में भू अभिलेख आधुनिकीकरण के महाभियान ने लोक राहत का नया अध्याय लिखा है जहां जिलों की 369 में से 301 तहसीलें ऑनलाइन होकर कार्य कर रही है। राज्य के अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर चुरू, जयपुर, जालौर, जैसलमेर झालावाड़ झुन्झुनूं, नागौर, अलवर, राजसमन्द, उदयपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सीकर जिले पूरी तरह ऑनलाइन की श्रेणी में शामिल हो गये हैं।

एक समय था जब भूमिधारकों को भू–अभिलेख, नक्शों व नामांतरण जैसे कार्यों के लिए पटवार मण्डल व तहसीलों को जाना पड़ता था। राजस्व कार्मिकों के विविध दायित्वों, प्राथमिकताओं की व्यस्तताओं के रहते काश्तकारों को कई बार समय पर दस्तावेज उपलब्ध होने में देरी भी हो जाती थी। लेकिन भू अभिलेख आधुनिकीकरण के बाद अब किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता से यह राह अत्यंत आसान हो गई है।

इस बहुद्देश्यीय कार्यक्रम को व्यावहारिक तौर पर सफलता के साथ लागू करने के लिए राज्य के राजस्व विभाग, भू–प्रबन्ध विभाग व पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग पृथक–पृथक रूप से महती भूमिका अदा कर रहे हैं। राज्य की 301 ऑनलाइन तहसीलों में ई–मित्रों के माध्यम से ई हस्ताक्षरित खाते की नकल, खसरा गिरदावरी व राजस्व नक्शों की प्रतिलिपियाँ जारी की जाने लगी है. वहीं जमाबंदी भी आम जन के लिये ऑनलाइन उपलब्ध है।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में तहसीलों में संधारित रिकॉर्ड रूम्स को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के रूप में स्थापित कर वहां राजस्व रिकॉर्ड को स्कैन कर सुरक्षित किया जा रहा है। यहाँ सबंधित संसाधनों के साथ ही

दूर–दराज से आने वाले काश्तकारों के बैठन की उचित व्यवस्था भी की गई है। राज्य में 369 तहसीलों में से 106 तहसीलों के लिए चतुर्थ चरण लीगेसी रिकॉर्ड स्कैनिंग का कार्यादेश जारी कर दिया गया है जिनमें से 15 तहसीलों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार राज्य के 529 उप पंजीयक कार्यालयों में पूर्व में पंजीकृत हो चुके दस्तावेजों की स्कैनिंग करवा डाटा सेंटर के उच्च तकनीकी सर्वर पर सहेजा जा रहा है। ये दस्तावेज आवश्यकता पड़ने पर आसानी से आम जन को उपलब्ध जायेंगे।

राज्य में राजस्व नक्शों की सुरक्षा के साथ ही खातेदारों का विवरण अंकित करने व काश्तकारों को रिकार्ड की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने को लेकर खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य राज्य सरकार करवा रही है। इसमें सेटलमेन्ट शीटों की स्कैनिंग डिजिटाइजेशन तरमीम तथा जमावदी को लिंक करने के कार्य भी शामिल हैं।

राज्य 33 जिलों में इस कार्यक्रम के तहत 6 फर्मों के माध्यम से नक्शे डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है अब तक राज्य के 46 हजार 821 गांवों की 1 लाख 29 हजार 984 शीट्स डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं। इनमें से 102229 शीट्स को अंतिम तरमीम पूरी कर ई–धरती सॉफ्टवेयर से लिंक कर दिया गया है। तहसीलों का भू अभिलेख पब्लिक डॉमिन पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से काश्तकार के नाम पिता के नाम खसरा नम्बर खाता नम्बर आदि से जमाबन्दी की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो पा रही है।

काश्तकारों को राजस्व रिकॉर्ड की उपलब्धता को लेकर एनआईसी द्वारा 'ई–

धरती सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक खातेदार को पृथक रूप में चिन्हित करते हुए खातों का विस्तृत विश्लेषण रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से लिंकिंग व जमाबन्दी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में राज्य की 301 तहसीलों को ऑनलाइन कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

राजस्व रिकॉर्ड व पंजीयन सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया गया है। वर्तमान में सभी ऑनलाइन तहसीलों में स्वतः नामान्तरकरण की व्यवस्था लागू हो गई है। इसी प्रकार काश्तकारों की सुविधा हेतु जमाबन्दी प्रतिलिपि, सीमा ज्ञान तथा नामान्तरकरण हेतु ई–मित्र के माध्यम से आवेदन का प्रावधान कर दिया गया है। अब ई–मित्र सॉफ्टवेयर को ई धरती सॉफ्टवेयर से लिक किया जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अब कृषक व आमजन को ऑनलाइन जमाबंदी के अवलोकन की सुविधा के साथ ही खसरा गिरदावरी व नामान्तरकरण की हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां राज्य की सभी ऑनलाइन तहसीलों में जारी करने का प्रावधान कर दिया गया है। राजस्व विभाग की ओर से 17 मई 2019 को जारी अधिसूचनानुसार ई–मित्र के माध्यम से ई हस्ताक्षरित खसरा गिरदावरी व नक्शों की प्रतिलिपियां जारी की जा रही है। अपना खाता डॉट राजस्थान डॉट इन वेबसाइट पर सभी जिलों की सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन तहसीलों की जमाबंदियां अद्यतन उपलब्ध हैं, जिससे आमजन के लिये जानकारी के साथ–साथ प्रतिलिपि प्राप्त किया जाना सहज हो गया है।

निश्चय ही भू अभिलेख आधुनिकीकरण से राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, सेवाओं की पारदर्शिता से आम जन तक पहुंच समस्त भू–अभिलेखों की ऑनलाइन सर्वसुलभता, नागरिकों एवं राज्य कार्मिकों के समय की बचत व तीव्रता से कार्य निष्पादन, स्वचालित नामान्तरकरण प्रक्रिया से भू सम्पत्ति के हस्तान्तरण में धोखाधड़ी से बचाव, अनावश्यक वाद–विवादों में कमी, राज्य सरकार की भिन्न योजनाओं की पात्रता संबंधी सूचनाओं की सुलभता. भू–अभिलेखों के रख–रखाव में पारदर्शिता, कार्यकारी एजेन्सियों में बेहतरीन समन्वय भू–अभिलेख अपरिवर्तनीय व सुरक्षित रहेगा, नवीन विधियों से किया गया सर्वेक्षण अतिशीघ्र होगा एवं इसमें त्रुटियां न्यूनतम होंगी। लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर लिखा गया यह सुनहरा अध्याय निश्चय ही राजस्थान के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जायेगा।

***

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

(W.R.)

निगरानी/टीए/2020/1687/अलवर

मुन्नीदेवी बनाम बहादुर सिंह

एकल-पीठ (मुकाम जयपुर)

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-

श्री अनंगपाल सिंह) अभिभाषक प्राथी

श्री राजकुमार शर्मा)

श्री हनुमानसिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 08 जनवरी, 2021

निर्णय

1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-230 सपठित धारा-221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 1-11-2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर-76/1-16, 78/1-19, 176/3-00, 249/1-19, 260/0-09, 481/0-14, 484/1-12, 560/1-09, 562/1-10, 621/2-01, 989/0-13 बीघा कुल किता 11 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम नांगल सालिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित है जिसमें निगरानीकार/प्रत्यर्थिया/वादीयागण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा संयुक्त रूप से कब्जे काश्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकार/प्रत्यर्थिया/वादीयागण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 Perpectual Injunction मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रस्तुत किया। उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक

10-2-2012 को एकपक्षीय बहस सुनकर गैर-निगरानीकार / अपीलार्थी / प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजियात का खसरा नम्बर-76/1-16, 78/1-19, 176/3-00, 249/1-19, 260/0-09, 481/0-14, 484/1-12, 560/1-09, 562/1-10, 621/2-01, 989/0-13 बीघा कुल किता 11 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम नांगल सालिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित है, से निगरानीकार / प्रत्यर्थिया / वादीयागण को जबरन बेदखल ना करे, ना ही कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत ना करे और ना ही फसल काटने, बोने, समेटने आदि में रुकावट पैदा करे। मौके की यथास्थिति कायम रखे जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। अनेक अवसर जवाब के लिये दिये जाने के पश्चात भी गैर-निगरानीकार / अपीलार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही करते हुये दिनांक 5-6-2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया। इसके पश्चात अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णीत किये बिना दिनांक 1-11-2019 को एकपक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उक्त निगरानी के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि बिना उन्हें सुने निर्णय पारित किया गया था जब नकल निकलवाई तो निर्णय के बाबत जानकारी मिली। नकल प्राप्ति के तुरन्त बाद निगरानी पेश कर दी गई। इसलिये निगरानी अन्दर मियाद मानी जावे।

4- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5- सर्वप्रथम परिसीमन अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1-11-2019 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 13-3-2020 को पेश की गई है। लगभग 43 दिनों की देरी हुई है। निगराकार का कथन है कि नकल मिलने में देरी हुई है इस कारण निगरानी प्रस्तुत करने में देरी हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी संलग्न है। अप्रार्थीगण ने इसके खण्डन हेतु कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः निगराकार के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण

नहीं है। अतः परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को शमित किया जाता है और निगरानी समय सीमा में प्रस्तुत की गयी मानी जाती है।

6– पत्रावली में बहस में निगराकार के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की व लिखित बहस भी प्रस्तुत की। बहस के दौरान उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय क्षेत्राधिकार सम्बन्धित शक्तियों का दुरूपयोग एवं गंभीर अनियमितता करते हुये विधि के प्रावधानों एवं Superior Court द्वारा न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जिससे उक्त आदेश illegal एवं miscarriage of justice की श्रेणी में आता है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना न्यायहित में अति आवश्यक है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि निगरानीकार / अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील मिथ्या तथा गलत तथ्यों का वर्णन करते हुये केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवमानना के दण्ड से बचने के आशय से गलत तथ्यों का वर्णन करते हुये प्रस्तुत की है। उनका यह भी कथन है कि स्थगन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आलोच्य आदेश पारित कर निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड की श्रेणी में आता है जो कि विधि के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2019 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की :–

1– एसएससी–2002(1) पेज–475

2– एसएससी–(2008) 12 पेज–481

3– आरआरटी–2019(1) पेज–221

4– आरआरटी–2017(2) पेज–787

5– आरआराडी–2016 पेज–642

6– आरआरटी–2014(2) पेज–1417

7– आरआरडी–2007 पेज–346

8– आरबीजे–2020

9– सी.जे.(सी.आई.वी.) 2020(1) (राज.) पेज–12

10– डी.एन.जे. 2018(2) (राज.)

11– आर.बी.जे.–2019(26)

7– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा उसे दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का आदेश अन्तरिम आदेश है जो केस डिसाईडेड की परिधि में नहीं आता है ऐसे आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी संधारण योग्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम ने अप्रार्थीगण व उसके अभिभाषक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट नांगल सालिया में नियत करते हुये अपने अस्पष्ट आदेश दिनांक 5–6–2017 द्वारा धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया, जो विधिविरूद्ध था। उनका यह भी कथन है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम ने प्रकरण को लोक अदालत में गलत रूप से एकतरफा में निर्णीत किया था जिन बिन्दुओं को आधार रखकर ही अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया है। निगरानी का स्कोप काफी सीमित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तिम आदेश के विरूद्ध नहीं होने और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्न नज़ीरें प्रस्तुत की :–

1– डब्ल्यू.एल.सी–2000 (राज.) पेज–73

2– आरआरटी–2019(1) पेज–342

3– आरआरटी–2018(1) पेज–116

4– आरआरटी–2016(1) पेज–194

5– एसएससी–2014(16) पेज–680

6– सीपीसी–2007(1) पेज–668

7– आरआरटी–2020(1) पेज–456

8– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वत्तापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का भी अध्ययन किया गया।

9– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि पर प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थी का रिकार्ड में कोई नाम नहीं है। अप्रार्थीगण का यह कथन कि सन 1942 से लगातार अप्रार्थीगण का कब्जा रहा है लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। केवल कह देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हित नहीं है। अप्रार्थीगण ने केवल एक रिकार्ड प्रस्तुत किया है जो धारा–145 सीआरपीसी की कार्यवाही में न्यायालय ए.डी.जे. किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 20–5–2016 की प्रति है जिसमें धारा–145 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत निगरानी खारिज की थी और विवादित भूमि को रिसीवर में देने से मना कर दिया गया था।

10– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिये प्रत्येक प्रकरण में निम्न तीन बिन्दुओं पर भली–भांति विश्लेषण कर आदेश पारित करना चाहिये :–

(1)– प्रथम दृष्ट्या मामला

(2)– सुविधा का संतुलन

(3)– अपूरणीय क्षति

11– इस प्रकरण में निगरानीकर्ता रिकार्डेड खातेदार है। दोनों प्रार्थिया महिलायें हैं। वे अपनी ससुराल में रहतीं हैं। काश्त के लिये आवश्यक नहीं है कि कोई उसी गांव में रहे। काश्त किसी अन्य व्यक्ति या सेवक के माध्यम से भी करवाई जा सकती है। एक रिकार्डेड खातेदार का कब्जा स्वतः माना जाता है जब तक कि उसके विरूद्ध पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत न हों। अप्रार्थीगण ने अपने कब्जों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है फिर यह कैसे माना जा सकता है कि अप्रार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर है? यदि एक बार यह मान भी लिया जाये कि उसका कब्जा है तो न्यायालय को यह भी देखना होगा कि क्या वह कब्जा वैध हो? क्या अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं? उत्तर है नहीं। क्या प्रार्थीगण पंजीकृत क्रेता है? उत्तर

है ही नहीं। प्रार्थीगण का कहना है कि सन 1942 से उनका कब्जा है तो उन्होंने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत क्यों नहीं किया?

12– इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार हैं। व रिकार्डेड खातेदार होने के नाते कब्जा उन्हीं का माना जायेगा। वे महिला हैं और न्यायालयों को उनके हितों का संरक्षण करना चाहिये। इस प्रकार विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम ने एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। यह आदेश दिनांक 10–2–2012 को पारित किया गया था। अप्रार्थीगण दिनांक 4–4–2013 को उपस्थित हो गये थे और उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और यह अवसर दिनांक 5–6–2017 तक अर्थात चार वर्ष 2 महीने तक दिया गया और लगभग सवा चार वर्षों में भी अप्रार्थीगण ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 5–6–2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम ने कैम्प में उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 10–2–2012 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म (पुष्ट) कर दिया। उक्त निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत व विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

13– उक्त आदेश दिनांक 5–6–2017 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष दिनांक 1–11–2019 को प्रस्तुत हुई। यह अपील लगभग ढाई साल बाद प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील के साथ परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं किया गया था। केवल यह कहने मात्र से कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम ने उनकी गलत उपस्थिति अंकित करके आदेश पारित किया है, विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय पर गलत आरोप लगाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब अप्रार्थीगण को चार वर्षों से अधिक का समय जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था। फिर भी उन्होंने जवाब पेश नहीं किया तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपील के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये और ना ही ग्राम के मौज़िज़ व्यक्तियों के शपथ पत्र संलग्न किये गये जो उनके प्रथम दृष्ट्या मामले व कब्जों को बताते। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता ही नहीं था।

14– प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर को पहले परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत करना चाहिये था लेकिन उन्होंने उस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह भी देखना चाहिये था कि क्या तीनों सिद्धान्त अप्रार्थीगण / अपीलार्थी के पक्ष में भली–भांति सिद्ध हैं? पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन तीनों बिन्दुओं पर अपना कोई मत अंकित नहीं किया गया। फिर उन्होंने अप्रार्थीगण के पक्ष में इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश कैसे पारित कर दिया? और यह भी नहीं देखा कि वादिया रिकार्डेड खातेदार हैं, महिला हैं। इस कारण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का एकपक्षीय निर्णय दिनांक 1–11–2019 पूर्णरूपेण विधिविरूद्ध है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

15– अप्रार्थीगण का यह कथन कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का एकपक्षीय निर्णय अन्तरिम आदेश है, अंतिम नहीं और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। जो नजीरें उन्होंने प्रस्तुत की हैं वे इस मत को पुष्ट करती हैं। हम भी इन नजीरों से सहमत हैं कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का आदेश अन्तरिम है और इस आधार पर निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन यदि कोई अन्तरित आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध हो तो राजस्व मण्डल को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

16– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीरें प्रस्तुत की हैं उनमें यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है कि सीपीसी के आदेश–41 नियम–3(ए) के तहत एकपक्षीय आदेश पारित करने से पूर्व परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाना चाहिये था। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने वह प्रार्थना पत्र निर्णीत किये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लगभग समस्त नजीरों में इस मत की पुष्टिकी है।

17– इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि अप्रार्थीगण / अपीलान्ट ना तो रिकार्डेड खातेदार है और ना ही पंजीकृत क्रेता। फिर उनका प्रथम दृष्ट्या मामला कैसे बना? और जब प्रथम दृष्ट्या मामला बनता ही नहीं था तब एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध और बिना उनको सुने एकपक्षीय आदेश कैसे पारित कर दिया? यह एक

गंभीर प्रकार की त्रुटि है जो अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने की है।

18– यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय अंतरिम आदेश है। यह भी सही है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। लेकिन यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जब कोई अन्तरिम आदेश एकपक्षी, विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत और त्रुटिपूर्ण हो तो राजस्व मण्डल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–221 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त हैं कि ऐसे आदेश को तुरन्त अपास्त किया जाये। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–221 का प्रयोग करने के लिये यह एकदम सही प्रकरण है।

19– फलस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 1–11–2019 निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर प्रकरण का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में आवश्यक रूप से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड पुनः लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(W.R.)

निगरानी/कोलो./5930/2010/बीकानेर

श्रवणराम बनाम बजरंगलाल

एकल पीठ

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी

श्री समीर अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 22.02.2021

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा प्रकरण सं. 48/08 में पारित निर्णय दिनांक 10–6–2010 के विरूद्ध नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इं.गां.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि विक्रय एवं आवंटन) नियम 1975 के तहत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि चक 16–500 DODD के मु0नं0 80/41 किला नंबर 1 लगायत 15 की 15 बीघा भूमि को मुहरबंद बोली में आवंटन करने हेतु आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 18–2–2008 को सूची प्रकाशित की जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 18–2–2008 को ही मोहरबंद सील का प्रस्ताव प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया। उक्त उपरान्त अप्रार्थी से बेक डेट दिनांक 28–1–2008 को मोहरबन्द बोली प्रस्ताव लेकर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 13–3–2008 को वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी को आवंटन कर दी। जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी ने समयावधि में राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की। चूंकि अप्रार्थी का आवंटन षड्यन्त्र के तहत किया गया था इसलिए बार–बार प्रयास किये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को आवंटन आदेश की नकल नहीं दी गई।

इस कारण वह अपील के साथ आवंटन आदेश की सत्य प्रति पेश नहीं कर पाया। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आवंटन आदेश की सत्य प्रति प्रस्तुत करने की छूट देकर अपील को श्रवणार्थ ग्रहण कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करते हुए प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली तलब किये जाने के उपरान्त भी आवंटन अधिकारी ने आवंटन पत्रावली अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के यहां नहीं भिजवाई एवं प्रकरण फाइल तलबी में चलता रहा कि अचानक अप्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की सत्य प्रति पेश नहीं करने बाबत प्रारम्भिक आपत्ति लेते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। ज्योंही उसे जानकारी हुई अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका पेश कर दी गई। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया कि स्वयं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा लगभग दो–ढाई साल तक लगातार आवंटन पत्रावली तलब की गई फिर भी आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में नहीं भिजवाई गई अर्थातब उक्त तथ्य से अपने आप ही साबित हो जाता है कि प्रार्थी के लिए आवंटन आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करना असंभव था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरअंदाज कर दिया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता जैसे ही राजस्व न्यायालयों में कार्यवाही सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल का निर्माण किया गया है जो मात्र एक प्रक्रियात्मक विधि है। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को असम्भव परिस्थितियां होने के बावजूद भी कठोरता से लागू कर अपने समक्ष विचाराधीन अपील को तकनीकी आधार पर खारिज करने में भारी भूल की है। जबकि माननीय मण्डल ने 1994 RRD 317, 1994 RRD 512, 2003 RBJ 184 में रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल पार्ट–। और ।। दोनों का गहनता से अध्ययन करने के बाद दोनों प्रावधानों को समान मानते हुए उनके प्रावधानों को Directory in nature माना है, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति तथा विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर सरसरी तौर पर अपील को तकनीकी आधारों पर निरस्त किये जाने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की

है। अंत में उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी अन्दर मियाद शुमार किये जाने एवं तदनन्तर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2010 को निरस्त किये जाने एवं प्रकरण को पुनः गुणावगुण आधार पर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने 1997 RBJ 275, 1998 RBJ 626, 2004 RBJ 77, 2001 RBJ 297, 2003 RBJ 184, 2002 RBJ 492, 1981 RRD 351 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने के ढाई वर्ष पश्चात भी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट की अपील को खारिज किये जाने में किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सबल न होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1980 RRD 228 (L.B.) का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मद्धेनजर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण के गुणावगुण को देखा गया।

प्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि काफी प्रयास करने के उपरान्त भी प्रार्थी आवंटन आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को केवल तकनीकी आधार पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जिनमें निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

2004 RBJ 77-

"Revenue Courts Manual (Part II) Rules 30- When on the basis of application for dispensing with filing of certified copy of the order of lower court, appellate court admitted the appeal and issued notice to the opposite party for hearing- Appeal cannot be dismissed due to non filing of certified copy of the order of lower court alongwith the appeal."

1997 RBJ 275-

"Rajasthan Revenue Courts Manual Part II Rules 30- When certified copy of order of court of first instance not filled but appeal is admitted and stay granted- As such copy presumed to be dispensed with implicitly. When certified copy of the order of court of Ist instance not filed. But since revision was registered and admitted and stay granted, as such copy presumed to be dispensed with implicitly under the rules. In the present case Additional Divisional Commissioner admitted the appeal and passed the stay order and therefore, this technical objection has no weight and it is hereby rejected."

2003 RBJ 184-

"Rajasthan Revenue Courts Manual 1956 - Part-I- Rule 17 and Rajasthan Revenue Courts Manual (Part-II)- Rule 30- Filing of copy of the court of first instance is directory and not Mandatory- When appeal is directed against the order of appellate Order- or decree"

2015 (2) RRT 1100-

"Rajasthan Tenancy Act,, 1955- Secs. 88 & 188- Suit for declaring khatedari tenant & permanent injunction was decreed- RAA affirmed the judgment & decree- Provisions of special law will override the general law- Provisions of C.P.C. would not be applicable- No order given to file the copy of the decree- Appellant cannot be punished for non-compliance of the provision by the Court- Held, Judgments are set aside & cases remanded to RAA to decide on merits."

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आवंटन आदेश दिनांक 28–1–2008 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश करने पर दिनांक 16–4–2008 को अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के साथ–साथ अपीलकृत आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किये जाने के आदेश भी दिये गये थे। तत्पश्चात लगभग हर पेशी पर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश के आदेश दिये गये। तदुपरान्त भी प्रार्थी द्वारा

आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी ने दिनांक 26-5-2010 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 3-6-2010 को उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10-6-2010 द्वारा प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 1981 RRD 351 के दृष्टांत का हवाला देते हुए यह अंकित किया है कि- ''अभिभाषक अपीलांट ने 1981 आर.आर.डी. पेज 351 की नजीर पेश की है। जो रिवीजन के प्रकरण की है। रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्यूवल पार्ट ।। के नियम 30 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश करना मेंडेटरी है।''

हमारी राय में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की यह फाइण्डिंग कानून के अनुसार उचित है। माननीय उच्च न्यायालय ने 1981 RRD 351 में मण्डल की माननीय वृहद पीठ के निर्णय 1980 RRD 228 के संबंध में कोई व्याख्या नहीं की है तथा जिसकी व्याख्या न्यायिक दृष्टान्तों में अलग-अलग की गई है एवं Same analogy मानकर निर्णय पारित किये गये हैं जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल नियम 17 के बारे में व्याख्या की है, न कि नियम 30 के बारे में। जबकि 1980 RRD 228 के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। फिर भी 2015 RRT 1100 में मण्डल द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय डीबी स्पेशल अपील सं. 788/2000 दिनांक 30-7-2009 का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि अपील के साथ प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करना कोई फैटल नहीं है। इसलिए अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए। इस संबंध में 1981 RRD 351 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि-

"11. In view of the conclusion, to which, we have arrived at, we refrain from expressing any opinion regarding correctness of the decisions reported in Smt. Gyan Kumari's case and Bhorulal V/s. Danmal (1980 RRD 228 L.B.)"

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में हमारी सुविचारित राय यह है कि चूंकि 1980 RRD 228 का निर्णय आज भी अस्तित्व में है लेकिन फिर भी हम न्यायहित में प्रार्थी को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दो माह में प्रस्तुत करने हेतु सशर्त अंतिम अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय के निर्णय के दो माह के अन्दर प्रस्तुत करने की शर्त पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 10–6–2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त पक्षकारान को सुनकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें। यदि प्रार्थी उक्त दो माह की समयावधि में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने में असफल रहता है तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10–6–2010 स्वतः प्रभाव में आ जायेगा। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)

सदस्य

***

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर (W.R.)

अपील डिक्री/टीए/7674/2018/जयपुर

मंगलीदेवी पत्नी बंशीधर जाति जाट निवासी घटवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

बिरदूराम पुत्र नानगा

....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ (मु. जयपुर)

डॉ आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः-

श्री एस.एस. खंडेलवाल, अभिभाषक अपीलान्टब की ओर से।

श्री सुरेश कुमार चाहर, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से।

दिनांकः10-3-2021

निर्णय यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 355/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है जिससे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2017 को बहाल रखा गया।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 लगायत 13 व रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 14 लगायत 17 के पूर्वज घासी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 लगायत 21 के विरूद्ध एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई

निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 110/2, 113/1, 249/1, 1047/110, 110/1, 113, 464/982, 110, 249, 787/1183, 876, 883 लगायत 886, 946/1015, 853/1191 कुल किता 17 वाके ग्राम घटवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व दीगर रेस्पोन्डेन्ट्स की तामिली चस्पांदगी से मानते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राजस्व केम्प बिलोंची में दिनांक 05–6–2015 को अपीलान्ट को केम्प कोर्ट का नोटिस दिये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद में दिनांक 05–6–2015 को प्रारम्भिक डिक्री तत्पश्चात दिनांक 13–11–2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हैं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–8–2018 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद में जारी नोटिस अपीलान्ट को नहीं मिले उसके पश्चात भी उनके द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जिसे बहाल रखे जाने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन है कि केम्प कोर्ट बिलोंची के भी नोटिस अपीलान्ट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स को नहीं मिले ओर रामलाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की उपस्थिति/सहमति को अपीलान्ट सहित दीगर रेस्पोन्डेन्ट्स की सहमति मानकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी के आधार पर प्राप्त एकतरफा कुर्रेजात रिपोर्ट को आधार बनाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–11–2017 को बहाल रखे जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पतासी की तामिली घटवाड़ा में चस्पांदगी से मान ली गई है जबकि पतासीदेवी घटवाड़ा में नहीं रह कर साहिबरामपुरा में रहती है। केम्प कोर्ट बिलोंची के नोटिस भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 पर तामिल नहीं हुए है।

उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा आनन फानन में एक पक्षीय कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गई है जो विधि विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या घासी का निधन वर्ष 2015 में हो चुका था ओर विचारण न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध डिक्री पारित की गई है जो निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि अंतिम डिक्री में समस्त खातेदारान के खाते अलग कर लगान कायम करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वादीगण के पक्ष में आवासीय एवं चाही प्रथम भूमि विभाजन में दी गई है जबकि अपीलांट एवं अन्य प्रत्यर्थीगण को गे. मु. नले के पास की भूमि विभाजन में दी गई है जो विभाजन के लिए स्थापित नियम कि अच्छी में अच्छी तथा बुरी में बुरी सभी भूमियों में सहखातेदारों को हिस्से अनुसार भूमि मिलनी चाहिये के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि विभाजन के लिए तैयार की गई कुर्रेजात रिपोर्ट पर केवल वादीगण के हस्ताक्षर है शेष किसी भी प्रतिवादी की उपस्थिति में यह तैयार नहीं की गई हैं कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार ने केवल प्रतिहस्ताक्षर किये है अर्थात उनकी उपस्थिति एवं सभी पक्षकरों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है अतः स्पष्ट्तः नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई 4 है। अंत में वकील अपीलान्ट ने उक्त गंभीर अनियमितताओं के आधार पर जारी अंतिम डिक्री दिनांक 13-11-2017 निरस्त योग्य होने से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5- वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स की उचित तामील हुई है। जारी किये गये नोटिस पर दो गवाहों के समक्ष चस्पांदगी से तामिल करवाई गई है। अपीलार्थी को कैम्प कोर्ट बिलोंची के नोटिस भी जारी किये गये हैं तथा जारी नोटिस अपीलान्ट द्वारा स्वयं प्राप्त किये गये हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुए है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनकर ही गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जिसका यथोचित कारण भी अंकित नहीं किया गया था। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज फरमाई जावे।

6– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 27–2–2013 को संस्थित किया गया। दिनांक 21–3–2013 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की तामीली जरिये चस्पांदगी का अंकन किया गया है जिसमें सभी नोटिस समान दो गवाहों की उपस्थिति में चस्पांदगी संदेहजनक तामीली है यही कारण है कि जब कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई उस समय वादीगण के अतिरिक्त कोई भी अन्य पक्षकार उपस्थित नहीं थे विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार ने भी प्रतिहस्ताक्षर किये हैं अर्थात कुर्रेजात रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं हुई है। विभाजन के प्रकरणों में यथासंभव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस के समय भी समस्त पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं है यह भी विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि के विभाजन में अपीलांट के आक्षेप अनुसार आवासीय एवं चाही प्रथम भूमि वादी गण के पक्ष में करने तथा अपीलांट्स एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के पक्ष में गै. मु. नले की सम्पूर्ण भूमि देने से असंतुलित विभाजन किया गया हैं अतः हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन बाबत वाद में समस्त पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का 5 समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं एकपक्षीय कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–11–2017 त्रुटिपूर्ण है अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण की तामीली उचित माने जाने में एवं एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय को सही मानने में विधिक त्रुटि कारित की है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8– परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 13–8–2018 व 13–11–2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को

प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की पालना करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवायें तथा प्रकरण में दोनों पक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे उभय पक्ष दिनांक 15 अप्रेल 2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर (W.R.)

अपील डिक्री/टी.ए./6408/2011/चित्तौड़गढ़

भूरीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरी
तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

....अपीलांट

बनाम

1. शंभूलाल पुत्र ऊंकार जाति ब्राह्मण व अन्य,
सभी निवासी मण्डावरी, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री पंकज नरूका, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 23/03/21

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 50/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–6–2011 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो.सं.1 लगायत 3 के पिता ऊंकारलाल एवं रेस्पो.सं.2 कन्हैयालाल ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी बेगूं के न्यायालय में

धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम मण्डावरी तहसील बेगूं स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 831, 832 बाबत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–2–2006 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 27–6–2011 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हीरालाल व रामेश्वरलाल पुत्र कजोडीमल की खातेदारी की थी एवं उसमें से एक विशेष भू–भाग को वादीगण ने क्रय करना बताया जबकि कानूनन सहखातेदार किसी विशेष भू–भाग का बेचान नहीं कर सकता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में खसरा नंबर 831, जिसका कि विशेष भू–भाग उन्होंने क्रय करना बताया है तथा वाद पत्र में यह भी अंकित किया कि सहवन से खसरा नंबर 832 के स्थान पर विक्रय पत्र में खसरा नंबर 831 अंकित हो गया है जिसे 832 ही माना जावे। अर्थात वादीगण ने एक तरह से विक्रय पत्र में भी संशोधन चाहा। विचारण न्यायालय ने कानून से परे जाकर यह मानते हुए कि खसरा नंबर 832 का ही बेचान वादीगण के हक में हुआ है, वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी विक्रय पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन विधि अनुसार ही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र में संशोधन करने का अथवा उसमें अंकित खसरा नंबर के अलावा अन्य खसरा नंबर का बेचान मानकर निर्णय पारित करने का कतई अधिकार नही है। अपीलांट/प्रतिवादी ने खसरा नंबर 980, 981, 982, 983 का संपूर्ण रकबा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–5–86 द्वारा खातेदार से क्रय किया है जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट के हक में किये गये बेचान को 11 बिस्वा तक शून्य मानकर कानूनी भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना कब्जे के, घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय

के समक्ष आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे। साथ ही वादीगण ने अपने वाद पत्र में राज्य सरकार को भी पक्षकार नहीं बनाया है जबकि राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त बिन्दुओं पर कोई गौर न कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे तथा वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2008 DNJ(SC) 325, 2020 (1)RRT 258 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि खातेदार हीरालाल ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नंबर 832 में से 11 बिस्वा भूमि वादीगण को दिनांक 17-6-69 को विक्रय कर दिनांक 26-6-69 को रजिस्ट्री करा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त विक्रय दिनांक से वादीगण उक्त विक्रय किये गये हिस्से पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग कर रहे हैं। किन्तु विक्रय पत्र में गलती से खसरा नंबर 831 लिख दिया गया जबकि खसरा नंबर 832 में से 11 बिस्वा पड़ौसों के मध्य की विक्रय की थी। सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त आराजीयात के नए नंबर 980, 981, 982 व 983 बने हैं। क्रयशुदा रकबा नवीन आराजी खसरा नंबर 982 में रहा जो पुराने खसरा नंबर 832 का ही है। हीरालाल के देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त भूमि हीरालाल के बजाय उसके पुत्र भवानीशंकर के नाम दर्ज हो गई। भवानीशंकर ने दिनांक 15-5-86 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूरा रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया जो उसके नाम दर्ज हो गई। पूर्व के बिकाव का नामान्तरकरण नहीं खुला था। पूर्व विक्रय पत्र में आराजी नम्बर गलत अंकित हो गए परन्तु पड़ौस वही है जिस पर वादीगण काबिज है। यदि सर्वे नम्बर में गलती हो तो पड़ौस को महत्वपूर्ण माना जायेगा तथा विक्रय पत्र में विक्रय शुदा भूमि का पड़ौस अंकित होने से घोषणा के वाद में पड़ौस के विवरण को अहमियत दी जाकर बिना खसरा नंबर शुद्धि कराए घोषणा की जा सकती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद को सही रूप से डिक्री किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निष्कर्ष अंकित किये हैं, जो विधिसम्मत हैं। दोनों

अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने AIR 1986 Kerala 236, AIR 1987 Kerala 84, 2002 (1) RRT 111, AIR 1986 MP 39, 1992 RRD 651, 2007 RBJ 35, 1978 RRD 219, AIR 1976 SC 807, 2002 (2) RLW (Rajasthan High Court) 983 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज कर तथा उभय पक्ष को सुनकर वादीगण का वाद डिक्री किया है। पक्षकारान के मध्य इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि साबिक आराजी खसरा नंबर 832 के हाल नंबर 982 व आराजी नंबर 831 के हाल नंबर 981 बने हैं, तथा आराजी खसरा नंबर 981 व 982 हीरालाल व रामेश्वरलाल पिता कजोड़ीमल की संयुक्त खातेदारी की आराजी थी। पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद आराजी खसरा नंबर 832 रकबा 11 बिस्वा के विक्रय बाबत है। रेस्पो0/वादीगण का यह कथन रहा है कि खातेदार हीरालाल ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नंबर 832 में से 11 बिस्वा भूमि वादीगण को दिनांक 17-6-69 को विक्रय कर दिनांक 26-6-69 को रजिस्ट्री करा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त विक्रय दिनांक से वादीगण उक्त विक्रय किये गये हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। किन्तु विक्रय पत्र में गलती से खसरा नंबर 831 लिख दिया गया, जबकि खसरा नंबर 832 में से 11 बिस्वा पडोसों के मध्य की विक्रय की थी। सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त आराजीयात के नए नंबर 980, 981, 982 व 983 बने हैं। क्रयशुदा रकबा नवीन आराजी खसरा नंबर 982 में रहा जो पुराने खसरा नंबर 832 का ही भाग है। इसके विपरीत अपीलांट/प्रतिवादी का यह तर्क है कि बेचान में आराजी नंबर 832 रकबा 11 बिस्वा बताया किन्तु उक्त पड़ौसों के बीच में आराजी नंबर 832 नहीं आती है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात को खरीदने की जानकारी वादीगण को थी परन्तु रजिस्ट्री के समय वादीगण ने इस बाबत कोई ऐतराज नहीं किया। दावे में जो पड़ौस अंकित किये हैं वो अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी का हिस्सा होकर मवेशी बांधने व चारा डालने एवं कृषि उपकरण रखने के उपयोग में आता है। जिसका उपयोग वक्त

खरीद से अपीलांट/प्रतिवादी करती चली आ रही है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 इस आशय की कायम की कि ''आया वाद पत्र की कलम सं02 में वर्णित पड़ौसों के बीच का रकबा वादीगण ने खरीदा जो आ0नं0 832 का हिस्सा है परन्तु रजिस्ट्री में सहवन से 831 दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।'' इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए तनकी संख्या 3 को निर्णित करते हुए यह अंकित किया कि– ''प्रदर्श–1 बहनामा दि0 26/6/69 में अंकित पड़ौसों की PW-1 कन्हैयालाल, PW-2 श्री बंशीलाल ब्राह्मण, PW-3 श्री नंदकिशोर ब्राह्मण दस्तावेज लेखक, के बयानों से पुष्टि होती है। प्रतिवादीया ने उक्त पडौसों के बीच की भूमि स्वयं के कब्जे में हो व मौके पर बाड़ा होने की बात स्पष्ट नहीं की व अनभिज्ञता जाहिर की जबकि जिरह में यह स्वीकार करती है कि बाड़े वाली जमीन के फाटक लगी है और गोपाल लाल जी के कब्जे में है। इसकी पुष्टि गवाह PW-2 श्री मिठूलाल पिता ऊंकार धाकड भी करता है। जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि विवादित बाड़े के उत्तर में मोहन लाल जी का बाड़ा है तथा पूर्व में मण्डावरी से नन्दवाई जाने का रास्ता है इस प्रकार बहनामा, नक्शा में दर्शाई आ0नं0 832 के पड़ौस उक्तानुसार सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि श्री मिठूलाल ने जिरह में स्वयं का पेश किया शपथ पत्र दि0 3/10/05 की A व B इबारत गलत होना बताया है इस प्रकार भूरीबाई ने स्वयं के अलावा अन्य कोई गवाह पेश नहीं किया जो उक्त पडौसों के बीच की आ0न0 932 होना गलत सिद्ध करते हों स्वयं भूरीबाई ने भी उक्त पडौसों को गलत नहीं बताया है। रजिस्ट्री में आ0न0 832 के बजाय 831 दर्ज कर दिए जो गलत है ऐसी स्थिति में पडौस को ध्यान में रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना चाहिये इसके लिए 1986 AIR केरला पेज 236, 1987 AIR केरला पेज 84 में व 2002 (1)RRT पेज 111 अमरजी बनाम श्रीमती लिली में भी स्पष्ट किया कि जब सर्वे नम्बर गलत दर्ज हो गए हों तो ऐसे में पड़ौस व हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि को पहचान स्वरूप नाम दिया हो तो उन्हें आधार मानकर निर्णय किया जाना उचित होगा और इस प्रकरण में यही विवाद है कि आ0न0 832 के स्थान पर 831 लिख दिए जबकि पड़ौसों के आधार पर 832 हाल नम्बर 982 का हस्तान्तरण सिद्ध होता है। इस प्रकार वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी होने से उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।''

8. इस संबंध में रेस्पो0 के अधिवक्ता की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 2002(1)RRT 111 अवलोकनीय है, जिसमें मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 88- The appellants has filed suit under Section 88 & 188, Rajasthan Tenancy Act before S.D.O. Sagwara who decreed the suit but in first appeal Settlement Officer cum R.A.A. Dungarpur accepted appeal and set aside the judgment and decree of trial Court- Hence this second appeal- It was held that Mst. Keshar was khatedar of araji no. 1314 area 13 biswas who executed gift deed in favour of plaintiff appellants- But due to mistake khasra no. 2145 was mentioned- In the gift deed the name of field limdawala has been mentioned which is mentioned in all records- The name of the village has also been mentioned in gift deed, area of khasra has also mentioned 13 biswas- Therefore all facts proves that the gift deed was executed for khasra no. 1314 and not of khasra no. 2145, though the gift deed khasra no. 2145 is mentioned- If there is conflict between the area then boundary will be prevail as held in AIR 1934 (Kal.) 851- Hence the appeal was accepted and judgment of first appellate Court was set aside and judgment of trial Court was upheld."

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि अपीलांट/ प्रतिवादी ने खसरा नंबर 980, 981, 982, 983 का संपूर्ण रकबा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–5–86 द्वारा खातेदार से क्रय किया है, जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट के हक में किये गये बेचान को 11 बिस्वा तक शून्य मानकर कानूनी भूल की है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 इस आशय की कायम की कि ''आया साबिक आ0नं0 832 के हाल नम्बर 982 बने हैं जिसे प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने भूरीबाई को जरिये रजिस्ट्री विक्रय कर दी जो गलत होकर अवैध है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 को निर्णीत करते हुए यह निष्कर्ष अंकित किया कि – ''प्रदर्श–1 में अंकित पड़ौसों के आधार पर व तनकी सं0 3 में किए निर्णय के अनुसार वादीगण को साबिक आ0नं0 832 हाल नम्बर 982 का 11 बिस्वा रकबा हस्तान्तरण किया जाना सिद्ध होता है। विक्रेता हीरालाल के फौत हो जाने पर यह आराजी पुत्र भवानीशंकर के नाम दर्ज हो गई जिसे पुनः प्रतिवादीया भूरीबाई को प्रदर्श–4 से हस्तान्तरित

किया जाना भी सिद्ध होता है। परन्तु प्रदर्श–1 व प्रदर्श–4 दोनों बहनामें पंजीबद्ध है परन्तु प्रदर्श–1 दि0 26/6/69 का है व प्रदर्श–4 दि0 4/6/86 का है ऐसी स्थिति में पूर्व का दस्तावेज प्रभावी होगा व बाद का दस्तावेज शून्य माना है जैसा कि 1992 RRD पेज 651, 2005 (2) RRD पेज 117 में यह व्यवस्था दी है। इस आधार पर वादीगण को दि026/6/69 को किया गया 11 बिस्वा रकबा आ0नं0 982 तक के लिए पश्चातवर्ती रजिस्ट्री शून्य है। प्रदर्श–1 में अंकित पड़ौसों के मध्य का रकबा 11 बिस्वा को प्रतिवादी सं02 व 3 के द्वारा पुनः प्रतिवादीया भूरीबाई को विक्रय किया, वह अवैध है जिससे उक्त तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया जाता है।''

10. इस संदर्भ में रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 1992 RRD 651 में मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Transfer of Property Act, Section 8- In a case in which a person has legally acquired khatedari rights by virtue of a registered sale deed executed in his favour prior to the execution of a subsequent registered sale deed in favour of another person, then despite the fact that entries in the record of rights have been made in favour of the subsequent purchaser the former purchaser is entitled to the relief of being declared as lawful khatedar of the land- The subsequent purchaser acquires no rights or title in the land- 1979 RRD, 1 followed."

इसके अनुसार खातेदार द्वारा एक बार अपने स्वत्व व अधिकारों का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिये जाने के पश्चात खातेदार को आराजीयात में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं रहता है, जिससे कि वह अन्य को आराजी विक्रय कर सके तथा पश्चातवर्ती विक्रय के आधार पर क्रेता को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं चाहे उसके पक्ष में पश्चातवर्ती विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण ही क्यों ना तस्दीक कर दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में खातेदार हीरालाल द्वारा साबिक आराजी खसरा नंबर 832 हाल नंबर 982 रकबा 11 बिस्वा का हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–6–69 वादीगण के पक्ष में किया गया है। तदुपरान्त विक्रेता हीरालाल के फौत हो जाने पर आराजी हीरालाल के पुत्र भवानीशंकर के नाम दर्ज हो जाने से उक्त आराजी पुनः अपीलांट/प्रतिवादी भूरीबाई को दिनांक 4–6–86 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई तथा ऐसा पश्चातवर्ती विक्रय उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अवैध होकर शून्य है।

11. विचारण न्यायालय ने अन्य तनकियात का निर्णय भी पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरांत वादीगण के पक्ष में करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया। हमारे विनम्र मत में तथ्यों की भिन्नता के कारण अपीलांट पक्ष की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-6-2011 एवं 8-2-2006 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(पंकज नरूका)
सदस्य

(W.R.)

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Revision No. 3307/2013/TA/Bhilwara :

Raghuram Singh S/o Shri Shiv Singh, by caste Rajput, R/o Karoi, Tehsil and District Bhilwara.

...Petitioner.

Versus

1. Hemkanwar W/o Shri Sangram Singh (Deceased), represented by :-
   1/1. Shakti Singh
   1/2. Sudarshan Singh sons of Shri Sangram Singh
   1/3. Natraj Singh & Others

... Non-Petitioners.

* * *

S.B.

Shri Ravi Dangi, Member

Present :

Shri Ajeet Singh Rathore : counsel for the petitioner.

Shri V.P. Singh : counsel for non-petitioner no.1/1.

* * *

Dated : 30th March, 2021

J U D G EM E N T

This revision has been filed under section 230 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 against the judgment & decree of the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Bhilwara dated 29.4.2013 in appeal no. 41/2013, against which appeal was filed against the judgment & decree dated 17.4.2012 in case no. 1/2012 by the Sub Divisional Officer, Bhilwara.

2. The factual matrix of the case is that one suit was filed by nonpetitioner no.1/ plaintiff against the petitioner and others which was decreed by the Sub Divisional Officer, Bhilwara on 21.11.2001, by which plaintiff was declared as recorded khatedar of Aaraji Nos. 2400, 2401, 2404, 2403, 5120/2390, 5121/2397, 5122/2397 and Aaraji Nos. 2402, 2406 instead of petitioner and nonpetitioner no. 2 along with non-petitioners no.1/1, 1/2 & 1/3. Against the said judgment, the petitioner Raghuram Singh filed an application under Order 9 Rule 13 to set aside the ex parte

decree. The said application was rejected on 17.4.2012 vide order of the S.D.O., Bhilwara. Against this, an appeal no. 41/2013 was filed before the R.A.A., Bhilwara. The same was also rejected vide order dated 29.4.2013. Against this, an appeal was filed before the Board by the petitioner, which was converted into a revision vide order of the Board dated 22.10.2013.

3. Heard both the learned counsels.

4. To begin with, both the counsels requested to decide the revision at the admission stage. There being a short question involved pertaining to Order 9 Rule 13 CPC. Thus, the revision is being decided at this stage itself.

5. The counsel for the petitioner reiterating the averments of the memo alleged that the decree passed ex parte was not as per the law & facts of the case. The ex parte decree has been obtained by the plaintiff by foul means. Both the courts below did not appreciate the law & facts correctly. That summons were not served properly and the summons of the petitioner were taken by Sudarshan, the son of the plaintiff. He also appeared as PW-1, although he was one of the defendants in the suit and the plaintiff did not even depose as a witness. The will made by Fateh Kanwar to Hemkanwar pertains to the disputed land was not self acquired land of Fateh Kanwar but was ancestral land.

6. **Per contra,** the counsel for the non-petitioner no.1's main contention was that the said revision has become infructuous as has been alleged by him in his application dated 23.02.2016 also. He vehemently argued that against the ex parte judgment dated 21.11.2001, appeals have been preferred by the petitioner before the R.A.A. and Board of Revenue and the same have been rejected vide orders dated 11.7.2013 and 11.9.2015 respectively. Apart from it, the petitioner stands no 3 ground as the application to set aside the ex parte decree was first filed after a delay of 11 years. At the time of restoration of suit, the summons were served to the petitioner.

7. After hearing the arguments and perusing the record, the moot question which comes to the fore to be decided is whether the revision has become infructuous in the light of the judgments in appeal filed by the petitioner against an ex parte decree.

8. Explanation of Order 9 Rule 13 of the Code of Civil Procedure reads as under :

> "Explanation" - Where there has been an appeal against a decree passed ex parte under this rule, and the appeal has been disposed of

on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside that ex parte decree."

9. Thus, in case of an ex parte decree, two options are there for the defendant. One to file an application under Order 9 Rule 13 CPC to set aside the ex parte decree and second to file an appeal. In the said matter against the ex parte judgment dated 21.11.2001, appeals have been preferred by the petitioner before the R.A.A. (Appeal No. 93/2013) which was decided on 11.7.2013 and thereafter also before the Board of Revenue (Appeal Decree/ TA/ 4828/ 2013/ Bhilwara) which was decided on 11.9.2015. Thus, as per the explanation of Order 9 Rule 13, where there has been an appeal against a decree passed ex-parte under this rule and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside that ex-parte decree.

10. Hence, in the facts & circumstances of the matter and the legal proposition, the revision deserves dismissal and is hereby rejected at this stage. The application dated 22-03-2016 is also disposed of accordingly.

No order as to costs.

Pronounced in open court.

(Ravi Dangi)
Member

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– रेफरेन्स/एल.आर./3515/2008/हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़

–प्रार्थी

बनाम

बनवारी लाल पिता गणपत ब्राहमण निवासी जोडकिया

–अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित–

श्री ओ.पी. भट्ट उप राजकीय अभिभाषक

श्री प्रदीप नेहरा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021

1. यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 7–12–2007 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमानगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक–15 एल एल डब्लू तहसील हनुमानगढ के प.नं.107/233 कि.नं.12 से 19, 23 से 25, प.नं.108/ 233 कि.नं.11,12,19 से 22, प.नं.108/234 कि.नं.1,10, प.नं 107/234 कि.नं.3 से 8 कुल 25 बीघा भूमि माफी मन्दिर के नाम बरूए जमाबन्दी सम्बत 2018 दर्ज थी। तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक 245 दिनांक 6–8–65 से इस भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी श्री गणपत के नाम प्रदान किये। जबकि प्रश्नगत भूमि मन्दिर के नाम से दर्ज है। मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है जस पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इसलिये हस्तान्तरण अवैध है।

अतः खातेदार का नाम विलोपित कर पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर की है, मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, इसलिये इसके अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं। अतः खातेदारान का नाम विलोपित कर पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित फैसलों के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत किया जा सकता है अन्य कानून के तहत पारित निर्णयों के खिलाफ रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार है और सदैव से उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रही है। जागीर कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 6-8-65 की पालना में वादग्रस्त भूमि का इन्तकाल माफी मन्दिर की बजाय गणपत राम पुत्र श्री रूपराम के नाम दर्ज किया गया है। जागीर कलेक्टर के आदेश की अपील मण्डल में लम्बित है। इसलिये रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में 2013(2) आर आर टी 1300 की नजीर पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जागीर कलेक्टर श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक245 दिनांक 6-8-65 की पालना में प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 9 दिनांक 22-10-65 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल माफी मन्दिर की बजाय गणपत राम पुत्र श्री रूपराम के नाम से दर्ज किया गया है। जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील संख्या 75/96/जागीर एक्ट/(3253/96) विचाराधीन है जैसा कि प्रस्तुत अपील मीमो के अवलोकन से स्पष्ट होता है। हमारी विनम्र राय के अनुसार विवादित भूमि के हक हकूकों का निस्तारण मण्डल के समक्ष लम्बित अपील में होगा। जब नियमित वाद अथवा उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील लम्बित हो तो रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जैसा कि आर बी जे(3)1996 पेज 132 में 1958 आर आर डी पेज 65में वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि-

When regular suit is pending in respect of suit land in competent court between the parties. No reference should be made as decided by larger bench reported in 1958 RRD 65.

इसी प्रकार आर बी जे(5)1998 पेज 593में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि –

When a suit is pending in the Trial court about the disputed land which will be decided on merits after considering all the evidence on record. Therefore, reference is not maintainable.

8. उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह रेफ्फ़रेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य

राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.10.2020 से 31.12.2020 (त्रैमासिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमास अवधि 01.10.2020 से 31.12.2020 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य के निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति (ग्रेडिंग) को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्ड :– न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार पर :–

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :–

1000 या अधिक लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से 999 लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से कम लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

2–भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :–

(क) 1000 या अधिक लम्बित – 50 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमों पर – 30 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(ख) 500 से 1000 लम्बित – 30 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमों पर – 15 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(ग) 500 से कम लम्बित – 20 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमों पर – 10 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है।)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन :–

(अ) मानदण्ड का 100 प्रतिशत से अधिक–उत्कृष्ट–'ए'

1–राजस्व अपील प्राधिकारी :– –शून्य।

2– भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :– –शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90 % से 100 % तक –बहुत अच्छा– 'बी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :– –अजमेर व जयपुर।

2– भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी – शून्य।

(स) मानदण्ड का 80 % से 90% तक– 'अच्छा' – 'सी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :– –शून्य।

2– भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी –शून्य ।

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक– ' औसत' – 'डी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :– –शून्य।

2– भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी – शून्य।

(य) मानदण्ड का 70 % से नीचे – 'औसत से नीचे– 'ई'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :– अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, स. माधोपुर।

2– भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी –अलवर, जयपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर।

राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर, भीलवाड़ा व बीकानेर का पद रिक्त होने कारण समीक्षा नहीं की गई है।

ग्रेड 'ई' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-10-2020 से 31-12-2020 में निस्तारित किये गये राजस्व- प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-10-2020 से 31-12-2020 में किये गये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प.12(18) राम/निरी/दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है-

निर्धारित मापदण्ड :- 10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण=60 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधार :

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर		
क्रम संख्या	**जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	B+
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	A+
सम्भाग-भरतपुर		
क्रम संख्या	**जिला कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A+
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
3	जिला कलेक्टर, करौली	C
4	जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	B

सम्भाग–बीकानेर		
क्रम संख्या	**जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	C
2	जिला कलेक्टर, चूरू	B
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	C
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	B
सम्भाग–जयपुर		
क्रम संख्या	**जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	A+
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	C
सम्भाग–जोधपुर		
क्रम संख्या	**जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	A+
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	जिला कलेक्टर, जालौर	C
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	A+
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	A+
सम्भाग–कोटा		
क्रम संख्या	**जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला कलेक्टर, बारां	B
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	C
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
4	जिला कलेक्टर, कोटा	B+

सम्भाग–उदयपुर		
क्रम संख्या	**जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	जिला–कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	A+
3	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C+
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	B
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	B
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	C

ग्रेड 'सी' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अति. जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-10-2020 से 31-12-2020 में निस्तारित किये गये राजस्व- प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

अति. जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-10-2020 से 31-12-2020 में किये गये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प.12(18) राम/निरी/78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है-

निर्धारित मापदण्ड :- प्रतिमाह 50 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

वार्षिक 150 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

ग्रेडिंग का आधार :

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर		
क्रम संख्या	**अति. जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, अजमेर	C
2	अति. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4	अति. जिला कलेक्टर, नागौर	B
5	अति. जिला कलेक्टर, टोंक	C
सम्भाग-भरतपुर		
क्रम संख्या	**अति. जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2	अति. जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3	अति. जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4	अति. जिला कलेक्टर, करौली	C

क्रम संख्या	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
5	अति. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	C
6	अति. जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी	C
सम्भाग-बीकानेर		
क्रम संख्या	**अति. जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, बीकानेर	B+
2	अति. जिला कलेक्टर, चूरू	C
3	अति. जिला कलेक्टर, गंगानगर (प्र.)	B
4	अति. जिला कलेक्टर, गंगानगर (सतर्कता)	C
5	अति. जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ (गंगानगर)	C
6	अति. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C
7	अति. जिला कलेक्टर, नोहर	C
सम्भाग-जयपुर		
क्रम संख्या	**अति. जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	C
2	अति. जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	C
3	अति. जिला कलेक्टर, दौसा	C
4	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
5	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
6	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	C
7	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	C
8	अति. जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
9	अति. जिला कलेक्टर, झुझुनूं	C
10	अति. जिला कलेक्टर, सीकर	C
सम्भाग-जोधपुर		
क्रम संख्या	**अति. जिला-कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2	अति. जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C

क्रम संख्या	अति. जिला–कलेक्टर	ग्रेडिंग
3	अति. जिला कलेक्टर, जालौर	C
4	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
5	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
6	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C
7	अति. जिला कलेक्टर, पाली	C
8	अति. जिला कलेक्टर, सिरोही	C
सम्भाग–कोटा		
क्रम संख्या	**अति. जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	अति. जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	C
3	अति. जिला कलेक्टर, बून्दी	C
4	अति. जिला कलेक्टर, झालावाड़	C
5	अति. जिला कलेक्टर, कोटा	C
सम्भाग–उदयपुर		
क्रम संख्या	**अति. जिला–कलेक्टर**	**ग्रेडिंग**
1	अति. जिला–कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	अति. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	C
3	अति. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4	अति. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	अति. जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6	अति. जिला कलेक्टर, उदयपुर	C

ग्रेड ''सी'' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे।

(श्री हरिशंकर गोयल)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टरों द्वारा त्रैमासिक अवधि 01.10.2020 से 31.12.2020 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमासिक अवधि 01.10.2020 से 31.12.2020 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा राजस्व अभियोगों के निस्तारण कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की गई।

निर्धारित मापदण्ड :- 1-उपखण्ड अधिकारी - 30 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

2- सहायक कलेक्टर - 40 वाद एवं 60 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

(3 विविध प्रार्थना पत्रों को 1 बहुपक्षीय माना गया है))

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक -''उत्कृष्ट-ए+''

1-उपखण्ड अधिकारी :- रामगढ़, छीपाबडौद, पहाड़ी, गंगापुर, जहाजपुर, सिकराय, सैंपउ, अनूपगढ, घड़साना, सादुलशहर, पदमपुर, हनुमानगढ, नोहर, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा, चितलवाना, खेतड़ी, पीपाड़शहर, लोहावट, सांगोद, डीडवाना, कुचामनसिटी, गंगापुरसिटी, नीमकाथाना, खण्डेला, देवली, टोडारायसिंह।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक -''बहुत अच्छा-ए''

1-उपखण्ड अधिकारी :-सूरतगढ़, दांतारामगढ़।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक -''अच्छा-बी+''

1-उपखण्ड अधिकारी :- ब्यावर, बायतु, गुलाबपुरा, रायपुर, बदनोर, राजगढ़, भादरा, सूरजगढ़, ओसियां, बाप, कोटा, मेड़ता, जायल, टोंक।

2-सहायक कलेक्टर :-कुम्हेर।

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक -'औसत-बी'

1-उपखण्ड अधिकारी :- पीसांगन, पुष्कर, तिजारा, बहरोड़, बानसूर, नीमराणा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, माण्डलगढ़, आसींद, करेडा, भदेसर, महुवा, गंगानगर, दूदू, नावां, लाडनूं, जैतारण, राजसमंद, लक्ष्मणगढ़, सिरोही, उनियारा, मालपुरा, गिर्वा।

2–सहायक कलेक्टर :– नागौर, श्रीमाधोपुर ।

(ड) मानदण्ड का 70% से नीचे– 'औसत से नीचे सी' :–

1–उपखण्ड अधिकारी :– अजमेर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, सरवाड़, भिनाय, रूपनगढ़, टाटगढ़, अरांई, अलवर, थानागाजी, राजगढ, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, कि. बास, मुण्डावर, कोटकासिम, रेणी, मालाखेडा, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, बागीदोरा, गढी, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, बारां, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, मांगरोल, शाहबाद, अन्ता, बाड़मेर, बालोतरा, गुढ़ामालानी, शिव, चौहटन, रामसर, सिवाना, सिणधरी, सेडवा, धोरीमन्ना, गडरारोड़, भरतपुर, डीग, कांमा, बयाना, कुम्हेर, बैर, नदबई, रूपवास, नगर, भूसावर, बनेडा, माण्डल, बिजोलिया, कोटड़ी, फूल्याकलां, हमीरगढ़, बीकानेर, खाजूवाला, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, पूंगल, छत्तरगढ़, बज्जू, बून्दी, नैनवां, के. पाटन, हिण्डोली, लाखेरी, तालेड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासन, निम्बाहेड़ा, बैगूं, बड़ीसादड़ी, गंगरार, रावतभाटा, राशमी, डूंगला, भूपालसागर, चुरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर, बिदासर, दौसा, बांदीकुई, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़, पचवारा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुला, डूंगरपुर, सागवाडा, सीमलवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा, सांवला, गलियाकोट, चिकली, श्रीकरनपुर, रायसिंहपुर, श्रीविजयनगर, संगरिया, जयपुर, बस्सी, जयपुर (द्वितीय), चाकसू, आमेर, कोटपूतली, सांभर, ज. रामगढ़, विराटनगर, चौमूं, शाहपुरा, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, भनियाणा, जालौर, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर, सायला, बागौड़ा, जसवन्तपुरा, झालावाड़, भवानीमण्डी, अकलेरा, खानपुर, पिड़ावा, मनोहरथाना, गंगधार, असनावर, झुंझुंनूं, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, बुहाना, मल्सीसर, जोधपुर, फलौदी, शेरगढ़, लूणी, भोपालगढ़, बावड़ी, बलेसरा, बिलाड़ा, करौली, हिण्डौन, मण्डारायल, सपोटरा, टोडाभीम, नादौती, रामगंजमण्डी, दीगोद, ईटावा, कनवास, नागौर, परबतसर, डेगाना, मकराना, खींवसर, रियांबड़ी, पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, रोहट, मा. जंक्शन, रायपुर, रानी, नाथद्वारा, भीम, वजीरपुर, सीकर, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, द्योत, रामगढ़, शेखावाटी, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, निवाई, पीपलू, वल्लभनगर, मावली, खैरवाड़ा, झाड़ौल, कोटड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया, सराड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, बड़गांव, प्रतापगढ़, धरियावद, अरनोद, छोटीसादड़ी,

पीपलखूंट।

2–सहायक कलेक्टर :– अजमेर, अलवर, मुण्डावर, बहरोड़, बानसूर, बाडमेर, चौहटन, भरतपुर, नगर, नदबई, उच्चैन, भीलवाड़ा, जहाजपुर, माण्डल, बीकानेर (मु.), बीकानेर (फाट्रे.), बड़ी सादड़ी, दौसा, लालसोट, बांदीकुई, धौलपुर, गंगानगर, दूदू, ज. रामगढ़, सांचोर, झुंझुनूं, उदयपुरवाटी, चिड़ावा, नवलगढ़, जोधपुर, फलौदी, ईटावा, करौली, जैतारण, स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, सीकर द्वितीय, दांतारामगढ़, खण्डेला, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना, टोंक, निवाई, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली।

सहायक कलक्टर कठूमर, थानागाजी, कि. बास, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कोटकासिम, राजगढ़, बहरोड़ (फाट्रे.) डीग, बून्दी, हनुमानगढ़, बिलाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ का पद नवसृजित/पदरिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(17)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील चित्तौड़गढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील बस्सी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	बस्सी	9912.95	बस्सी	1973.26
			पालका	3478.03
			सोनगर	2240.05
			घोसुण्डी	2223.61
2.	सेमलपुरा	9751.64	सेमलपुरा	2173.63
			नगरी	2798.22
			नैतावलगढपाछली	2287.37
			आंवलहेड़ा	2492.42
3.	सादी	6270.1	सादी	1715.19

			अभयपुर	1750.04
			पाल	2804.87
4.	विजयपुर	9003.52	विजयपुर	2275.52
			केलजर	3762.00
			अमरपुरा	1394.00
			दौलतपुरा	1572.00
योग	**04**	**34940.21**	**15**	**34940.21**

पुनर्गठित तहसील चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	चित्तौड़गढ़	6684.83	चित्तौड़गढ ए	2064.4
			चित्तौड़गढ बी	
			सेंती	1288.9
			ओछड़ी	1457.6
			धनेतकलां	1874
2.	जालमपुरा	8566.5	जालमपुरा	2200.7
			सहनवा	1555.4
			सेमलिया	1412.3
			अरनियापंथ	1653.3
			देवरी	1744.7
3.	घोसुण्डा	9327.8	घोसुण्डा	1586
			तुम्बड़िया	2126.6

			सतपुड़ा	1669.1
			नेतावलमहाराज	2069.5
			ओडुन्द	1876.7
4.	पाण्डोली	10196.36	पाण्डोली	1713.4
			कश्मोर	1793
			नारेला	2284.6
			बड़ोदिया	2533.4
			रोलाहेड़ा	1872
5.	घटियावली	9026.28	घटियावली	2004.1
			ऐराल	1815.6
			उदपुरा	2378.6
			गिलुण्ड	2828
6.	शम्भुपुरा	6762.29	शम्भुपुरा	1488
			चिकसी	1518.7
			सामरी	2112.9
			सावा	1542.7
योग	**05**	**50564.06**	**28**	**50564.06**

आज्ञा से,

ह./-

(सीताराम जाट)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(25)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 31.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण, राज्य सरकार एतद द्वारा उप-तहसील दलोट, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर तहसील दलोट का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील दलोट जिला प्रतापगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	दलोट	6239.68	दलोट	1417.00
			भचुण्डला	1269.06
			चकुण्डा	1295.18
			जिरावता	1133.96
			चन्देरा	1124.48
2.	बड़ी साखथली	7498.61	बड़ी साखथली	1911.91
			निनोर	2976.43
			बोरदिया	1778.32
			बांसलाई	831.95
3.	रायपुर	9168.44	रायपुर	2313.23

			कानगढ़	1736.13
			उंठेल	711.10
			रायपुर जंगल	2067.63
			कुम्हारियों का पठार	2340.35
4.	सालमगढ.	5068.02	सालमगढ़	1892.36
			लापरिया रूंड़ी	913.69
			सेवना	1294.12
			सात सहुड़ी	967.85
5.	आम्बीरामा (नवसृजित)	4596.41	आम्बीरामा	1420.31
			चोकाली पिपली	1008.06
			भाट भमरिया	1177.88
			लुहार खाली	940.16
योग	**05**	**32521.16**	**22**	**32521.16**
क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	अरनोद	6661.79	अरनोद	1544.85
			विरावली	1319.11
			मंडावरा	1568.14
			अचलावदा	2229.19
2.	चुपना	6192.56	चुपना	1775.69
			लुपड़ी	1172.96
			मोवाई	1880.27
			कोटिनेरा	1363.64

3.	मोहेड़ा	5755.26	मोहेड़ा	2127.51
			कोटड़ी	1274.36
			अचनारा	1177.19
			बड़वास कला	1176.29
4.	नागदी	6749.42	नागदी	1223.35
			फतेहगढ़	1756.87
			साखथली खुर्द	1628.07
			हिंगलाट	734.40
			प्रतापपुरा	1406.73
5.	बेड़मा	6697.46	बेड़मा	1859.63
			नोगावा	1453.91
			लालगढ़	2187.10
			जाजली	1196.82
योग	**05**	**32056.49**	**21**	**32056.49**

आज्ञा से,

ह./-

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(25)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 31.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद द्वारा उप-तहसील सुहागपुरा, तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर **तहसील सुहागपुरा** का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	रामपुरिया	12619.00	रामपुरिया	3379
			धारियाखेड़ी	2040
			रतनपुरिया	3215
			पण्डावा	3585
2.	कचोटिया	5853.00	कचोटिया	1212
			पाडलिया	1689
			मोटा मायंगा	1385
			वीरपुर	1567
3.	सुहागपुरा	5174.00	सुहागपुरा	1589

			मोटीखेड़ी	1139
			मोटा धामनिया	1180
			तलाया	1266
4.	सेमलिया	8257.00	सेमलिया	1471
			कुशलपुरा	2271
			पटेलीया	1532
			दतियार	2983
5.	केसरपुरा	9245.00	केसरपुरा	2169
			बानघाटी	2102
			सोडलपुर	1026
			छरी	3948
योग	**05**	**41148**	**20**	**41148**

पुनर्गठित तहसील पीपलखूँट के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	पीपलखूँट	12273	पीपलखूँट	4175
			मोरवानीया	1961
			बोरी पी	2297
			जेतलिया	3840
2.	केलामेला	6173	केलामेला	1299
			सागबारी	1359
			कूपड़ा	1115

			टामटिया	2400
3.	नायन	5862	नायन	2484
	(नवसृजित)		कालीघाटी	1254
			बक्तौड	1223
			कांकरवा	901
4.	परथीपुरा	10108	परथीपुरा	2610
			नालपाड़ा	2573
			रोहनीया	1771
			बोरी ए	3154
5.	घंटाली	8395	घंटाली	1672
			ठेंचला	2449
			जामली	2647
			डूगलावानी	1627
योग	**05**	**42811**	**20**	**42811**

आज्ञा से,

ह./-

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(14)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 31.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण, राज्य सरकार एतद्द्वारा उप-तहसील सम, जिला जैसलमेर को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर **तहसील सम** का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील सम, जिला जैसलमेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	सम	118968	सम	23312
			लखमणों की बस्ती	58052
			दामोदरा	20365
			कनोई	17239
2.	शाहगढ़	464724	शाहगढ.	116084
			घोटारू	185585
			राबलाऊ फकीरोंवाला	88314
			हरनाऊ	74741
3.	म्याजलार	123284	म्याजलार	48382
			करडा	33493
			दव	41409

4.	बीदा	162952	बीदा	15161
			फलेड़ी	19158
			लूणार	38136
			रहूं का पार	90497
5.	खुहड़ी	98090	खुहड़ी	34526
			सिपला	18390
			डेढा़	8417
			बेरसियाला	36757
6.	रामगढ.	521370	रामगढ़	189536
			लोंगेवाला	137056
			तेजपाला	99956
			रायमला	94817
7.	सोनू	114590	सोनू	16774
			राघवा	63453
			पूनमनगर	34363
8.	खुईयाला	121849	खुईयाला	9820
			सियाम्बर	23545
			बांधा	88484
योग	**08**	**1725827**	**29**	**1725827**

पुनर्गठित तहसील जैसलमेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	जैसलमेर	56242	जैसलमेर	12627
			भू	10852
			पिथला	20490
			अमरसागर	12273
2.	रूपसी	65281	रूपसी	10179
			बरमसर	17189
			काहला	15878
			भादासर	22035
3.	चांधन	82578	चांधन	31151
			सोढ़ाकोर	19891
			धायसर	18596
			बड़ोड़ा गाँव	12940
4.	थईयात	62815	थईयात	16373
			डाबला	11711
			दरबारी गाँव	6904
			हमीरा	27827
5.	मोहनगढ़	277057	मोहनगढ़	117828
			बाहला	49728
			ताड़ाना	54495
			कोणोद	55009
6.	सुलताना	105479	सुलताना	58847

			खींया	9701
			पारेवर	25939
			खींवसर	10992
7.	देवा	76932	देवा	9713
			बोहा	16057
			नेहड़ाई	43017
			काठोड़ी	8145
योग	**07**	**726384**	**28**	**726384**

आज्ञा से,

ह./-

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(7)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 26.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील बायतु, जिला बाड़मेर का पुनर्गठन/ नवसृजन कर उप-तहसील बाटाडू का सृजन करती है।

नवसृजित उप-तहसील बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	बाटाडू	25574	बाटाडू	4460
			लुनाड़ा	6811
			झाक	8831
			खींपर	5472
2.	भीमड़ा	25304	भीमड़ा	5895
			हरखाली	5796
			चौखला	8779
			छीतर का पार	4834
योग	**02**	**50878**	**08**	**50878**

पुनर्गठित तहसील बायतु के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	बायतु भोपजी	26306	बायतु भोपजी	3613
			बायतु चिमनजी	6429
			माधासर	3029
			नौसर	13235
2.	नगोणी धतरवालों की ढाणी	19594	नगोणी धतरवालों की ढाणी	4289
			बायतु भीमजी	4304
			सेवनियाला	6642
			बोड़वा	4359
3.	बायतु पनजी	22644	बायतु पनजी	7417
			माड़पुरा बरवाला	6450
			कोसरिया	8777
4.	पनावड़ा	21336	पनावड़ा	4466
			अकदड़ा	9089
			कोलू	7761
योग	**04**	**89880**	**14**	**89880**

आज्ञा से,

ह./–

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(24)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 17.05.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण, राज्य सरकार एतद्द्वारा उप-तहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर तहसील नेछवा का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील नेछवा, जिला सीकर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	नेछवा	12620.08	नेछवा	1936.08
			गनेड़ी	2187.80
			कुमास जागीर	3749.31
			ढहर का बास	4746.89
2.	मंगलूणा	12894.23	मंगलूणा	2767.11
			तिड़ोकी बड़ी	3215.37
			गाड़ोदा	3563.83
			सूतोद	3347.92
3.	काछवा	12455.06	काछवा	3109.45
			घिरणियाँ बड़ा	3473.69

			भिलूण्डा	2836.01
			रूल्याणी	3036.94
4.	सूठोठ	9254.56	सूठोठ	2849.49
			मीरण	3847.85
			रूल्याणामाली	2557.24
5.	पाटोदा (आंशिक)	741.07	बठौठ (आंशिक)	741.07
योग	**05**	**47966.05**	**16**	**47966.05**

पुनर्गठित तहसील लक्ष्मणगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	लक्ष्मणगढ़	14370	लक्ष्मणगढ़	3100
			कुमास जाटान	1995
			हमीरपुरा	2022
			बगड़ी	2535
			बादुसर	4718
2.	जाजोद	13444	जाजोद	2631
			धाननी	2145
			राजास	3102
			बाटडानाउ	2366
			भूमा बड़ा	3200
3.	पाटोदा	11478	पाटोदा	2875

	(आंशिक)		बठोठ (आंशिक)	2084
			अलखपुरा बोगन	3255
			भोजासर बड़ा	3264
4.	खुड़ी बड़ी	9251	खुड़ी बड़ी	1679
			जसरासर	2715
			नरोदड़ा	2437
			लालासी	2420
5.	बीदासर	8118	बीदासर	2486
			बिड़ोदी बड़ी	1472
			खींवासर	2924
			पालड़ी	1236
6.	रहनावा	8445	रहनावा	2277
			डुडवा	1909
			सिंगोदड़ा	2320
			खेड़ी राड़ान	1939
7.	बलारां	8814	बलारां	1612
			चूड़ी मियां	2107
			राजपुरा	1930
			दिसनाउ	3165
योग	**07**	**73920**		**3073920**

आज्ञा से,

ह./-

(सीताराम जाट)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(15)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 17 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में जिला जोधपुर की तहसील बापिणी व लोहावट का पुनर्गठन करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उप-तहसील आऊ, जिला जोधपुर को क्रमोन्नत/पुनर्गठन कर तहसील आऊ का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील आऊ, जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	आऊ	37949.06	आऊ	13189.09
			चाडी	2550.21
			श्री लक्ष्मणनगर	6154.86
			श्री कृष्णनगर	6318.67
			रिड़मलसर	9736.23
2.	देणोक	19935.24	देणोक	5540.87
			इन्दों का बास	10685.31
			केरला (नवसृजित)	3709.06
3.	मोरिया (नवसृजित)	12946.27	पलीना	6731.22
			मोरिया	2499.5

			मूंजासर (नवसृजित)	3715.55
योग	**03**	**70830.57**	**11**	**70830.57**

पुनर्गठित तहसील बापिणी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	बापिणी	42925.08	बापिणी	7819.31
			बेदू	8009.57
			जाखण	7311.31
			पूनासर	15988.98
			ईशरू	3795.91
2.	मतोड़ा	27809.98	मतोड़ा	8807.03
			रायमलवाड़ा	2184.15
			पड़ासला	1666.7
			निम्बों का तालाब	15150.1
योग	**02**	**70735.06**	**09**	**70735.06**

पुनर्गठित तहसील लोहावट के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	लोहावट	25178	लोहावट बीबी	7603

			जम्मेश्वरनगर	6759
			लोहावट जेबी	7643
			ढेलाणा	3173
2.	दयाकोर	21683	दयाकोर	5115
			फतेहसागर	4258
			सदरी	2663
			जालोडा	9647
3.	शैतानसिंह नगर	26716	शैतानसिंह नगर	4225
			आमला	7150
			छीला	4013
			नयाबेरा (नवसृजित)	7240
			धोलासर (नवसृजित)	4088
4.	पल्ली	40237	पल्ली	13599
			नौसर	12643
			भीकमकौर	9334
			अति. भीकमकौर	4661
योग	**04**	**113814**	**17**	**113814**

आज्ञा से,

ह./-

(सीताराम जाट)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(57)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 17 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतदद्वारा जिला उदयपुर में नवीन **उपखण्ड कार्यालय भीण्डर** का सृजन करती है।

उक्त नवीन **उपखण्ड भीण्डर** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.सं.	**जिला**	**नवसृजित उपखण्ड कार्यालय**	**तहसील**	**नवसृजित उपखण्ड का क्षेत्राधिकार**	
				भू.अ.नि.वृत्त	**पटवार मण्डल**
1.	उदयपुर	भीण्डर	भीण्डर	भीण्डर	भीण्डर
					चारगदिया
					बांसड़ा
					केदारिया
					वाणियातलाई
				कुण्डई	कुण्डई
					सवना
					सिंहाड़
					कुंथवास
					धाबड़िया
				बड़गाव	बड़गांव
					वरणी
					वाना
					बरोडिया

		खेरोदा	खेरोदा
			बग्गड़
			अमरपुरा खा.
			भोपाखेड़ा
	योग	**04**	**18**
	कानोड़	कानोड़	कानोड़
			पिथलपुरा
			मोतीदा
			पाणुन्द
		सालेडा	सालेडा
			धारता
			लालपुरा
			हीन्ता
			सारंगपुरा भी.
		लुणदा	लुणदा
			अमरापुरा जा.
			आकोला
			सारंगपुरा का.
	योग	**03**	**13**
महायोग		**07**	**31**

आज्ञा से,

ह./-

(सीताराम जाट)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(45)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 31.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतदद्वारा जिला जयपुर की तहसील पावटा में नवीन **उपखण्ड कार्यालय पावटा** का सृजन करती है।

उक्त नवीन **उपखण्ड पावटा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.सं.	**जिला**	**नवसृजित उपखण्ड कार्यालय**	**नवसृजित उपखण्ड का क्षेत्राधिकार**	
			भू.अ.नि.वृत्त	**पटवार मण्डल**
1.	जयपुर	पावटा	पावटा	पावटा
				जोधपुरा
				कूनेड
				पण्डितपुरा
			खेलना	खेलना
				बड़नगर
				तुलसीपुरा
				फतेपुरा खुर्द
			मंढा	मंढा
				पाछोडालां
				कारोली
				भांकरी

		प्रागपुरा	प्रागपुरा
			भैंसलाना
			भूरी भडाज
			पाथरेडी
			राजनौता
		टसकोला	टसकोला
			टोरडा गूजरान
			भोनावास
			बूचारा
		दांतिल	द्वारिकपुरा
			दांतिल
			सुंदरपुरा ढाढा
			पुरुषोतम पुरा
	योग	**06**	**25**

आज्ञा से,

ह./-

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(18)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 17 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर कर नवीन तहसील दोवडा का सृजन करती है।

नवीन तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त व पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्रं.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	वसी (नवसृजित)	6868	माण्डवा	2195
			आसेला	2556
			वसी	1126
			वसीपाल (नवसृजित)	990
2.	आंतरी	10079	आंतरी	3299
			डोजा	1164
			हिराता	3419
			लोलकपुर	2197
3.	दामडी	4949	दामड़ी	1297
			दोवड़ा (नवसृजित)	614
			कहारी	1403
			वलौता	1635
4.	पुनाली	6704	पुनाली	1820
			कोलखण्डा	2226

			मालमाण्डव	2072
			रागेला	586
5.	हथाई	4950	हथाई	1609
			भोजातों का औड़ा	945
			खेमपुर	1087
			सवगढ़	1309
6.	फलोज	4538	फलोज	1677
			धावड़ी	1346
			ओडवाड़िया	866
			रघुनाथपुरा	649
योग	**06**	**38088**	**24**	**38088**

पुनर्गठित तहसील डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	डूंगरपुर	3629	डूंगरपुर	1212
			माथुगामडा खास	855
			पाल माथुगामडा	1562
			गोकुलपुरा (नवसृजित)	266
2.	बिलड़ी	4833	बिलड़ी	1100
			सिदडीखेरवाडा	1064
			खेडाकच्छवासा	1455
			ऊपरगाँव	948
3.	गडामोरैया	4434	खेमारू (नवसृजित)	812
			मेताली	1081
			पीपलादा	1798

4.	देवल	8635	देवलखास	867
			पालदेवल	2663
			पालबड़ा	1601
			गामडी देवल	1484
5.	राजपुर	4892	राजपुर	562
			मालपुर	1448
			वागदरी	1676
			सतीरामपुर	1206
6.	सुरपुर	4357	सुरपुर	1034
			सुन्दरपुर	1120
			गुमानपुरा	1242
			घूघरा	961
7.	थाणा	8445	थाणा	1784
			बलवाड़ा	2438
			कांकरादरा	2915
			माडा	1308
8.	गैंजी	4713	गैंजी	954
			रेटा	968
			विकासनगर	1636
			महुडी	1155
योग	**08**	**41938**	**32**	**41938**

आज्ञा से,
ह./-
(सीताराम जाट)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(12)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 30.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर की तहसील गोविन्दगढ़ में नवीन उपखण्ड कार्यालय गोविन्दगढ़ एवं तहसील नारायणपुर में नवीन उपखण्ड कार्यालय नारायणपुर का सृजन करती है।

उक्त नवीन गोविन्दगढ़ का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:-

क्र. सं.	नवीन उपखण्ड	तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत	भू.अ.नि.वृत्त का क्षेत्रफल (है.में)	पटवार मण्डल	पटवार मंडलवार क्षेत्रफल (है.में)
1.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	2871	गोविन्दगढ़	508
					न्याणा	673
					सैदमपुर	1060
					बारोली	630
			नसवारी	3724	नसवारी	796
					हरसौली	637
					फाहरी	1076
					खेड़ा महमूद	1215
			रामबास	4427	रामबास	1575
					भैसड़ावत	939
					सैमलाखुर्द	763
					दौगड़ी	1150
योग			**03**	**11022**	**12**	**11022**

उक्त नवीन उपखण्ड नारायणपुर का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:-

क्र. सं.	नवीन तहसील उपखण्ड	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत	भू.अ.नि.वृत्त का क्षेत्रफल (है.में)	पटवार मण्डल	पटवार मंडलवार क्षेत्रफल (है.में)
1.	नारायणपुर नारायणपुर	नारायणपुर	9163.18	नारायणपुर ए	584.62
				नारायणपुर बी	928.98
				विजयपुरा	893.53
				बामनवास	5146.49
				कांकड़	
				कोलाहेड़ा	609.56
		अजबपुरा	9054.207	अजबपुरा	374.15
				गढ़ी	963.23
				खरखड़ी	2156.53
				मुण्डावरा	3707.36
				चांदपुरी	852.93
				ज्ञानपुरा	1847.54
				कराणा	792.26
				बिलाली	1660.11
		नीमूचाना	4217.12	नीमूचाना	1787.07
				चतरपुरा	1460.50
				वासदयाल	969.55
योग		**04**	**28734.41**	**16**	**28734.41**

आज्ञा से,
ह./-
(एम. पी. मीना)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(29)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर की तहसील फागी का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील माधोराजपुरा, के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल है. में)
1.	हरसूलिया	8368.7899	हरसूलिया	1423.897
			गोहन्दी	2369.058
			हीरापुरा	2775.9777
			थला	1799.8572
2.	रेनवाल	8263.9482	रेनवाल	2469.704
			पहाड़िया	2367.401
			बासड़ी जोगियान	1735.1361
			मोहब्बतपुरा	1691.7071
3.	चित्तौड़ा	8241.5513	चित्तौड़ा	2368.641
			झाड़ला	1887.4616
			पीपला	2550.5675
			मानपुर गेट	1434.8812

4.	डाबिच	6518.678	डाबिच	1662.1247
			गोपालपुरा	1583.6018
			दोसरा	1619.8658
			सेहदरिया	1653.0857
5.	माधोराजपुरा	7279.4383	माधोराजपुरा	2266.5394
			गोपालनगर	2163.4147
			भांकरोटा	2849.4842
6.	चांदमाकला	9453.2061	चांदमाकला	3602.9926
			डिडावता	3983.7801
			बीची	1866.4334
योग	**06**	**48125.6118**	**22**	**48125.6118**

पुनर्गठित तहसील फागी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	फागी	10156.579	फागी उत्तर	1829.4203
			फागी दक्षिण	1826.1354
			फागी पश्चिम	2612.6305
			मांदी	1877.1483
			हथेली	2011.2445
2.	निमेड़ा	10891.35	निमेड़ा	3141.0213
			केरिया	1591.2274
			परवण	2348.774
			किशोरपुरा	1796.547
			समेलिया	2013.7838

3.	मेन्दवास	7906.134	मेंदवास	2356.8455
			डालनिया	1771.8859
			नैनस्या	1651.2532
			लसाड़िया	2126.1494
4.	चौरू	8221.2062	चौरू उत्तर	2364.394
			चौरू दक्षिण	2392.2263
			चकवाड़ा	2309.3483
			शंकरपुरा	1074.2347
5.	मण्डावरी	7395.5082	मण्डावरी	1742.2579
			घटीयाली	2428.4917
			नारेडा	1407.0506
			मण्डावरा	1817.708
6.	मण्डोर	10661.2944	मण्डोर	2526.853
			कांसेल	3095.0875
			रोटवाड़ा	2074.6827
			सवाईजयसिंहपुरा	2964.6706
7.	लदाना	8080.9071	लदाना	2317.7455
			सुल्तानिया	2582.942
			पचाला	1427.3606
			भोजपुरा	1752.859
योग	**07**	**63312.9789**	**30**	**63312.9789**

आज्ञा से,
ह./-
(सीताराम जाट)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(13)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व में अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जयपुर की तहसील बस्सी का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील तूंगा, जिला जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील तूंगा, के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	पाटन (नवसृजित)	6213.0459	राजपुरा पातलवास	1164.3331
			पाटन	2026.6931
			भटेरी	1938.2556
			गूडला	1083.7641
			गढ़	2049.6341
2.	तूँगा	7041.5221	तूँगा	1166.1879
			अणतपुरा	1192.9001
			करणगढ़	1702.1426
			माधोगढ़	930.6574
3.	देवगाँव	7128.0107	देवगाँव	1315.8872
			काशीपुरा	2044.4166

			खतेपुरा	1973.0968
			दनाउकलाँ	1794.6101
योग	**03**	**20382.58**	**13**	**20382.58**

पुनर्गठित तहसील बस्सी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	कानोता	6446.2475	कानोता	1480.7584
			रामरतनपुरा	2123.4409
			बूडथल	1754.1951
			कुँथाड़ा खुर्द	1087.8531
2.	बस्सी	5279.0797	बस्सी (ए)	2040.2100
			बस्सी (बी)	
			बैनाड़ा	1402.5344
			मानसर खेड़ी	1836.3353
3.	फाल्यावास	3985.8011	फाल्यावास	1666.7715
			जीतावाला	1045.5534
			रामसर पालावाला	1385.7539
			सिन्दोली	1887.7223
4.	साँमरिया	5450.1309	साँमरिया	1247.057
			बराला	1632.7002
			खिजुरिया ब्राह्मणाम	1068.3386
			पालावाला जाटान	1502.0351

5.	दूधली	6102.9945	दूधली	1375.1331
			झर	2272.2038
			टोडाभाटा	1116.6525
			मोहनपुरा	1339.0051
6.	लालगढ़	4760.6587	लालगढ़	1947.2558
			मनोहरपुरा	1537.5971
			श्यामपुरा कचोलिया	1275.8058
7.	टहटडा	4635.2835	टहटड़ा	996.4205
			नाँगल बोहरा	833.8793
			पड़ासोली	1088.1554
			बड़वा	1716.8283
8.	बाँसखोह	5970.1389	मीठावास	1110.8914
			हंसमहल	1576.496
			बाँसखोह	1925.7982
			जटवाड़ा	1356.9533
योग	**08**	**44630.33**	**31**	**44630.33**

आज्ञा से,

ह./–

(सीताराम जाट)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(29)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर को तहसील जमवारामगढ़ का पुनर्गठन करते हुये उप-तहसील आंधी, जिला जयपुर तहसील जमवारामगढ़ का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील आंधी जिला जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील आंधी, के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	आंधी	6485	आंधी	1519
			फुटोलाव	2015
			बिरासना	1547
			थौलाई	1404
2.	भावनी	10845	मंहगी	2894
			शानकोटड़ा	1757
			भावनी	2498
			रायपुर	3696
3.	नीमला	13210	थली	3188
			नीमला	5611

			राम्यावाला	1643
			डांगरवाड़ा	2768
4.	रायसर	8594	माथासुला	2110
			बहलोड़	2938
			रायसर	3546
5.	धूलारावजी	11252	लालवास	1608
	(नवसृजित)		गांवली	1163
			धूलारावजी	2267
			नेवर	2330
			चावण्डिया	1812
			धर्मपुरा	2072
योग	**05**	**50386**	**21**	**50386**

पुनर्गठित तहसील जमवारामगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	गठवाड़ी	7005	गठवाड़ी	1039
			बोबाडी	2694
			जयचन्दपुरा	1211
			धौला	2061
2.	ताला	9122	ताला	2321
			राजपुरवासताला	2407
			बिलोद	2600

			टोडाभीम	1794
3.	भानपुर कलां	8222	भानपुर कलां	1059
			बासना	3519
			इन्द्रगढ़	2423
			नटाटा	1221
4.	जमवारामगढ़	15837	सायपुरा	1474
			रूपवास	1621
			जमवारामगढ़	4308
			पापड़	3209
			सामरेड कलां	5225
5.	नायला	8055	नायला	1590
			मानोता	3016
			लांगडीयावास	2410
			राहोरी	1039
6.	बूज	4743	बूज	2143
			खवारानीजी	996
			खरकड़ा	1604
योग	**06**	**52984**	**24**	**52984**

नोट्र भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त खवारानीजी को विलोपित कर धूलारावजी नया भू-अभिलेख निरीक्षक वृत सृजित किया गया है।

आज्ञा से,

ह./-

(सीताराम जाट)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(11)राज-1/2021 जयपुर, दिनांक 30.03.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 तथा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतदद्वारा तहसील लवाण में नवीन उपखण्ड कार्यालय लवाण जिला दौसा का सृजन करती है।

उक्त **नवीन उपखण्ड कार्यालय लवाण** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.सं.	जिला	नवसृजित उपखण्ड कार्यालय	नवसृजित उपखण्ड का क्षेत्राधिकार	
			भू.अभिलेख वृत्त	पटवार मण्डल
1.	दौसा	लवाण	लवाण	लवाण ए
				लवाण बी
				पुर्विसावास
				ढिंगारिया
			रजवास	रजवास
				खानपुरा
				माण्डेडा सुनारपुरा
				खानवास
			बनियाना	बनियाना
				कंवरपुरा
				डूंगरावता
				नयागाँव
			हिंगोटिया	हिंगोटिया

			खेड़ला खुर्द
			सिंगवाड़ा
			नांगलगोविन्द
			गुगोलाव
	योग	**04**	**17**

आज्ञा से,

ह./-

(एम. पी. मीना)

संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F (26)Rev.6/2014/50 Jaipur, Dated 29.06.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi-A) of sub-section (2) of section 261 read with section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajashan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, namely—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) (Second Amendment) Rules, 2021.

2. Amendment of rules 2,—In rule 2 of the Rajasthan Land Revenue conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, hereinafter referred to as the said rules—

(i) in clause (aaa), after the existing expression "manufacturing" and before the existing expression "and distribution", the expression "Awarehousing" shall be inserted; and

(ii) in clause (g), after the existing expression "or an open area for any industry" and before the existing expression "including information", the expression "or warehouse" shall be inserted.

3. Amendment of rule 6A—In rule 6A of the said rules, after the existing sub-rule (6), the following new sub-rule (7) shall be added, namely—

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) to sub-rule (6) if in case any khatedar tenant desires for conversion of agricultural land for Food Processing Unit he may submit an application complete in all respects in Form-A along with the documents prescribed therein and proof of deposit of conversion charges to the prescribed authority. On receipt of completed application the prescribed authority may issue conversion order in the manner prescribed in rule 9".

4. Amendment of Rule 9—In rule 9 of the said rules—

(i) the existing clause (a) to (1) of sub-rule (1) shall be substituted by the following namely—

(a) Residential Unit	Tehsildar upto 4000 Square meters
(b) Residential Colony project	(i) Sub Divisional officer- Where total area does not exceed 10,000 square meters. (ii) Collector- Where total area does not exceed 50,000 square meters. (iii) State Government- Where total area exceeds 50,000 square meters.
(c) Commercial purpose	(i) Sub Divisional Officer- Where the total area does not exceed 5000 square meters (but excluding magazine, multiplex, hotel resort). (ii) Collector-All cases of commercial purposes where the total area does not exceed 50,000 square meters. (iii) State Government- All cases of commercial purposes where the total area of land exceeds 50,000 square meters.
(d) Industrial Area/ Industrial purpose	(i) Sub Divisional Officer- Where total area does not exceed 10,000 square meters. (But excluding tourism unit) (ii) Collector- Where total area does not exceed 50,000 square meters including tourism unit. (iii) State Government- All cases Where total area exceeds 50,000 square meters.
(e) Salt manufacturing purpose	(i) Sub Divisional Officer- Where total area does not exceed 2,00,000 square meters. (ii) Collector- Where total area exceeds 2,00,000 square meters.
(f) Public Utility purpose	(i) Sub Divisional Officer- Where total area does not exceed 10,000 square

	meters. (ii) Collector- Where total area does not exceed 50,000 square meters. (iii) State Government- Where total area exceeds 50,000 square meters.
(g)Institutional purpose and Medical facilities	(i) Sub Divisional Officer- Where the total area does not exceed 10,000 square meters. (ii) Collector- Where total area does not exceed 50,000 square meters. (iii) State Government- Where total area exceeds 50,000 square meters.
(h) SEZ	State Government
(i) Food Processing unit	(i) Sub Divisional Officer- Where total area does not exceed 10,000 square meters. (ii) Collector- Where total area does not exceed 50,000 square meters. (iii) State Government- Where total area exceeds 50,000 square meters.
(j) Solar farm/Solar Plant/ Solar Power Plant, Wind Farm/Wind power	(i) Sub Divisional Officer- Where total area does not exceed 10,000 sq. meters. (ii) Collector- Where total area does not Plantexceed 50,000 square meters. (iii) State Government- All cases where the total area exceeds 50,000 square meters.
(k) Hydrocarbon exploration	Collector
(l) Stadium Play ground and sports complex.	Collector

(ii)in sub-rule (2)—

(a) for the existing expression "by a committee consisting of the following—

1.	District Collector	Chairperson
2.	Additional District Collector (Administration)	Member Secretary.
3.	Sub Divisional Officer concern	Member
4.	Executive Engineer posted in Zila Parishad	Member
5.	Zonal Senior Town Planner/Deputy Town Planner of the Town Planning Department.	Member

the expression "by a committee consisting of the following—

(A) in case where the prescribed authority is Collector or the State Government—

1.	District Collector	Chairperson
2.	Additional District Collector (Administration)	Member Secretary
3.	Sub Divisional Officer concern	Member
4.	Executive Engineer posted in Zila Parishad	Member
5.	Zonal Senior Town Planner/Deputy Town Planner of the Town Planning Department.	Member

(B) in case where the prescribed authority is up to the rank of Sub-divisional Officer—

1.	Sub-divisional Officer	Chairperson
2.	Tehsildar Concern	Member
3.	Deputy Town Planner of the Town Planning Dept.	Member

shall be substituted; and

(b) before the existing first proviso the following new proviso shall be inserted namely—

"Provided that If such approach way is not available, the khatedar shall arrange from his rest of his khatedari land if such appropriate khatedari land is not available then the khatedar shall arrange from the adjoining land of the another khatedar with the consent of khatedar of such adjoining land. The consent of such khatedar shall be in writing and agreement of consent shall be for the minimum period of five years. The agreement of consent shall be submitted along with the intimation about the land proposed to be

used."

(c) in second proviso, for the existing expression "Provided that", the expression "Provided further that" shall be substituted; and

(d) in third proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided also that' shall be substituted.

5. Amendment of rule 10—In rule of the said rules—

(i) after the existing sub-rule (1) and before the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (1A) shall be inserted, namely—

"(1A) if land is converted under these rules or under any other rules framed under the Act before the commencement of these rules for any specific purpose and such converted land has been transferred by registered sale deed to another person and transferee apply to use it for any other non agricultural purpose and if purchase rate of the land mentioned in the sale deed is non agricultural, it will not take into consideration.", and

(ii) after the existing sub-rule (3) and before the existing sub-rule (4), the following new sub-rule (3A) shall be inserted, namely—

"(3A) If a person, after the issue of conversion order for any specific purpose has used the converted land for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority, permission shall be granted by the prescribed authority on payment of 25% of conversion charges of such non-agricultural use in addition to the charges, if any".

6. Amendment of rule 14—In proviso to sub-rule (2) of the rule 14 of the said rules, after the existing expression "by the prescribed authority." and before the existing expression. "If the land is not used," the expression "If person fails to use of land for such converted purpose within such extended period and he desires to further extension of the period, the State Government may, after charging twenty five percent amount of conversion charges as prescribed in rule 7, extend the such period for further three years if tourism unit having less than 200 rooms and four years if tourism unit having 200 or more than 200 rooms." shall be inserted.

By order of the Governor,

Sd/-
(Kamlesh Abusariya)
Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.6(26)राज-6/2014/पार्ट/48 जयपुर, दिनांक 23.06.2021

परिपत्र

विषय :- राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 2 (1) में परिभाषित `Person' की परिभाषा में सम्मिलित `association of persons' के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 2 (1) में `Person' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"(1) `Person' means a human being and shall include a firm, registered society, association of persons, corporate body or any other legal person."

उक्त परिभाषा में सम्मिलित अभिव्यक्ति `association of persons' को नियमों में पृथक् से परिभाषित नहीं किया गया है। अत: नियमों में प्रयुक्त उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा के अभाव में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के परिपेक्ष्य में उक्त परिभाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति `association of persons' से तात्पर्य ऐसे दो या दो से अधिक खातेदारों का समूह (Group of khatedar tenants) से है जो पारस्परिक सहमति के आधार पर निष्पादित पंजीकृत इकरारनामा के माध्यम से अपनी सामूहिक खातेदारी भूमि पर इन नियमों में अनुमत कोई परियोजना को विकसित करने हेतु सहमत होते हैं। ऐसे खातेदारों का समूह पूर्णत: प्राकृतिक व्यक्तियों या पूर्णत: विधिक व्यक्तियों द्वारा या भागत: प्राकृतिक एवं भागत: विधिक व्यक्तियों द्वारा गठित हो सकता है।

इस प्रकार पारस्परिक पंजीकृत इकारारनामें के आधार पर गठित समूह इन नियमों में अनुमत किसी परियोजना हेतु सामूहिक रूप से ऐसी भूमि के संपरिवर्तन के लिये आवेदन कर सकता है। ऐसे समूह द्वारा संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ एक इकाई के रूप में मानी जायेगी लेकिन ऐसे खातेदारों के समूह के सदस्यों का दायित्व एवं अधिकार उनकी खातेदारी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित होगा। तदनुसार ही ऐसी भूमियों के संपरिवर्तन उपरान्त राजस्व अभिलेखों में अपेक्षित अंकन किया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई खातेदार उक्तानुसार किसी परियोजना की स्थापना के उद्देश्य हेतु गठित समूह में अपनी संपरिवर्तित भूमि के साथ सम्मिलित हो सकता है। ऐसे खातेदारों की संपरिवर्तित भूमि को समूह द्वारा प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित हो जाने पर यह नियमों के समस्त उद्देश्य हेतु एक इकाई के रूप में मानी जायेगी एवं समूह के सम्पूर्ण भू क्षेत्र का नवीन नक्शा पास किया जा सकेगा।

ह./-

(कमलेश आबुसरिया)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(26)राज-6/2014/पार्ट/49 जयपुर, दिनांक 23.06.2021

परिपत्र

विषय :- समयावधि में भूमि उपयोग के सम्बन्ध में।

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु सपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 14 में जिस प्रयोजन हेतु भूमि का संपरिवर्तन किया गया है उस प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की समयावधि निर्धारित की गई है। विहित समयावधि में भूमि का संपरिवर्तित प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से विफल रहने पर आवेदक के आवेदन पर इस अवधि को बढ़ाये जाने का प्रावधान भी उक्त नियम में गया गया।

नियम 14 में संपरिवर्तित भूमि का विहित समयावधि में उपयोग किया जाना प्रावधित है। संपरिवर्तित भूमि के समयावधि में **'उपयोग'** के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजनाएँ जिसमें अधिक निवेश होता है तथा विभिन्न हित सृजित होते हो जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा, आवासीय कॉलोनी/परियोजनाओं अथवा अन्य परियोजनाओं में यदि आधारभूत सुविधाएँ सड़क आदि विकास कार्य विहित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया है तथा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग योग्य नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग में आना माना जावेगा। उक्त संपरिवर्तित भूमि पर सभी भूखण्डों पर या सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण होना आवश्यक नहीं है।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु विहित समयावधि में संपरिवर्तित भूमि को उपयोग में लिया जाना आवश्यक होगा।

ह./-

(कमलेश आबुसरिया)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.6(26)राज-6/2014/पार्ट/47 जयपुर, दिनांक 23.06.2021

परिपत्र

विषय:- परियोजनाओं के लिये संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित राजकीय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।

प्राय: यह देखने में आया है कि खातेदारों/निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु संपरिवर्तित/आवेदित भूमि के कतिपय प्रकरणों में योजना के विकास के उपयोग में लिये जाने वाले भू क्षेत्र के मध्य में राजकीय भूमि अवस्थित होने से इन राजकीय भूमियों को योजना में सम्मिलित किये बिना आदर्श परियोजना का विकास किया जाना संभव नहीं होता है। यह राजकीय भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में भी अवस्थित हो सकती है। यह भूमियां परियोजना के मध्य में स्थित होने से भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना संभव नहीं होता है। यदि ऐसी भूमियों को विकासकर्त्ताओं को कीमतन आवंटन कर दिया जाता है तो योजना का विकास सुगमता से हो सकता है।

अत: उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजना के मध्य में आ रही राजकीय भूमि का राशि वसूल किया जाकर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है यदि ऐसी भूमि:-

1. परियोजनाओं हेतु सपरिवर्तन के लिये प्रस्तावित भूमि 10 हैक्टेयर या उससे अधिक है,
2. विकासकर्त्ता की परियोजना के मध्य आने वाली राजकीय भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है एवं,
3. संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य अवस्थित राजकीय भूमि प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से कम है।

परियोजना के विकास हेतु संपरिवर्तन के लिये प्रस्तावित भूमि के मध्य में अवस्थित राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। जिला कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि के आवंटन के प्रस्ताव स्वयं की

अनुशंसा मय राजस्व नक्शा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी एवं मौका रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व नक्शे पर लाल रंग से दर्शाया जावेगा।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना के मध्य में स्थित राजकीय भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत कीमतन किया जा सकेगा। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का आवंटन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कृषि भूमि की दर से दो गुना मूल्य वसूल कर किया जायेगा।

ह./-

(कमलेश आबुसरिया)

शासन उप सचिव

पत्रिका विवरण

1. नाम	-	रावित्रा त्रैमासिक अंक -123
2. आकार	-	रावित्रा 6.2 X 9.2 इंच
3. मुद्रित प्रतियाँ	-	7500
4. प्रयुक्त कागज	-	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम. (ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम. (ग) साधारण कागज (मेपलिथो) 80 से 90 जी.एस.एम.
5. प्रकाशक	-	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक	-	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज	-	4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ	-	8 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ	-	120 पृष्ठ

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F4(1)Rev.6/06/Pt./46 Jaipur, Dated : 18/06/2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajashan Revenue (Land Records, Settlement and Colonization) Subordinate Service rules, 2019 namely—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Land Records, Settlement and Colonization) Subordiante Service (Amendment) rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rules 16—The existing proviso (i) to rule 16 of the Rajasthan Revenue (Land Recrods, Settlement and Colonization) Subordinate Service rules, 2019 shall be substituted the following namely—

"(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by—

(a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes. More Backward Classes and Economically Weaker Sections;

(b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General Category;and

(c) 10 years in the case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections."

By order of the Governor,
Sd/-
(Kamlesh Abusariya)
Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.9(34)राज-1/2019/101/PS Cell/34 जयपुर, दिनांक 11.06.2021

परिपत्र

भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 (''1984 अधिनियम'') एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 (''2013 अधिनियम'') के तहत मन्दिर माफी के नाम से दर्ज भूमियों के सम्बन्ध में कतिपय जिला कलक्टरर्स द्वारा मुआवजा किस के खाते में जमा कराया जाये अथवा किसको दिये जाये, इस बाबत मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है।

2. राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार प्रयोजन से वर्ष 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 (''1952 अधिनियम'') पारित किया गया, जो दिनांक 16.02.1952 से प्रभावशील है।

3. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार हैः-

''जागीर भूमियों का अधिकार-जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार का जो इस अधिनिम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।''

4. इसी प्रकार उक्त 1952 अधिनियम की धारा 10 में खुदकाश्त भूमि पर खातेदार माने जाने का प्रावधान हैः-

''खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकारः-किसी जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण होने की तारीख से किसी जागीरदार की कोई खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में पारित की गई समझी जायेगी, और उस गाँव की दर पर उसके संबंध में निर्धारण किया जावेगा।''

5. उक्त 1952 अधिनियम की अनुसूची प्रथम में क्रम सं. 15 पर माफी भूमि को ''जागीर श्रेणी'' में माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उक्त 1952 अधिनियम के लागू होने की दिनांक को तत्समय के राजस्व अभिलेख में यदि किसी खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, जो उसे ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

6. मन्दिर माफी भूमि की कई प्रकार की श्रेणियाँ संभव है। **प्रथम श्रेणी**–मन्दिर माफी की वह भूमि जिसके सम्बन्ध में 1952 अधिनियम के लागू होने के समय के राजस्व अभिलेख में यदि वह भूमि मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त के नाम दर्ज थी, तो ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार मन्दिर मूर्ति में निहित होते हैं। माननीय उच्च न्यायालय की वृहद् पीठ द्वारा तारा के प्रकरण (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 185/2001 ताराव अन्य बनाम राज्य व इत्यादि) में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अवयस्क नहीं है। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मन्दिर मूर्ति को शास्वत अवयस्क मान भी लिया जावे तो भूमि मंदिर निरन्तर धारित नहीं कर सकती है; मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उस कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते हैं। मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति "केयरटेकर मैनेजर" की होती है; उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

अत: ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भूमि के सम्बन्ध में 1984 अधिनियम एवं 2013 अधिनियम के तहत पुजारी/ट्रस्ट "केयरटेकर मैनेजर" की हैसियत से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा निर्धारण प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6 (1) प्र.सु./ अनु–3/ 2015 दिनांक 19.01.2015 (संलग्नक–1) के अनुसार संबंधित विभाग में जमा किया जाता रहेगा।

7. **द्वितीय श्रेणी**–जागीर पुनर्ग्रहण होने पर 1952 अधिनियम लागू होने के समय के अभिलेख अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो, कि उस काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक ओर पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है तो वह 1952 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार विधिक रूप से (Valid) खातेदार काश्तकार है। यदि (i) अवाप्ति के समय के भू–अभिलेख और (ii) 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र विधिक खातेदार में अन्तर है, तो ऐसी स्थिति में 1952 अधिनियम की धारा 9 अभिभावी (pevail) होगी; एवं इस श्रेणी के प्रकरणों में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/ 2017/ पार्ट 101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2), परिपत्र क्रमांक प. 03 (2) राज–6/ 2007/ पार्ट/ 5 जयपुर 12.09.2018 (संलग्नक–3), परिपत्र क्रमांक प. 03 (2) राज–6/ 2007/ 19 जयपुर 25.11.2011 (संलग्नक–4) व परिपत्र क्रमांक प. 03 (2) राज–6/ 2007/ 14 जयपुर 24.05.2007 (संलग्नक–5) के तहत रिकार्ड दुरूस्ती की जानी वांछित होगी एवं रिकार्ड दुरस्ती के पश्चात् भूमि आवाप्ति

अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनिमय 2013 के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी। लेकिन यदि 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र खातेदार की बिना उत्तराधिकारी/वारिस/वैध अंतरिती की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (i) के अनुसार खातेदारी समाप्त होकर यह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

8. जैसा कि संलग्नक–4 एवं संलग्नक–5 में स्पष्ट है कि मन्दिर माफी के कई प्रकरणों में 1952 अधिनिम के प्रभावी होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के विपरीत भू–प्रबन्ध संक्रिया के दौरान खातेदारी का गलत इन्द्राज जागीर अधिनियम के विपरीत दर्ज किया गया है, यह अनुचित रूप से रेफरेन्स दायर कर जागीर अधिनियम के विपरीत गलत रूप से खातेदारी का अंकन किया गया है या बाद में संस्था या ट्रस्ट का गठन कर इसप्रकार की संस्था के नाम खातेदारी अधिकारों का अंकन कर दिया गया है। इस तरह के प्रकरणों में व्यक्ति/ संस्था/ ट्रस्ट इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/ 2017/ पार्ट/ 101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2) के अनुसार किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र नहीं है एवं इस कारण से वे भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के तहत मुआवज प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं हैं।

9. मंदिर माफी के प्रकरणों में उक्तानुसार भूमि आवाप्ति के समय भू अभिलेख की प्रास्थिति का राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1953 के लागू होने की दिनांक को तत्समय भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि से परीक्षण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है; ऐसे सभी प्रकरणों में खातेदारी अधिकार निर्धारण हेतु 1952 अधिनियम के प्रावधान अभिभावी (prevail) करेंगे। बाद के भू अभिलेखों में दर्ज की गई गलत इन्द्राज, अनुचित रेफरेन्स अवैध बेचान व गलत भू प्रबन्ध संक्रिया के कारण दर्ज व्यक्ति के आधार पर खातेदारी अधिकार/मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित नहीं होगा।

10. अत: उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न परिपत्रों के अनुसार भूमि आवाप्ति अधिनियमों के तहत राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार परीक्षण कर पात्रता रखने वाले वैध खातेदार काश्तकार (valid Khatedar tenant) तय कर मुआवजा निर्धारण के प्रकरण निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

ह./–
(संदीप वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : 9(20)राज-6/2017/09 जयपुर, दिनांक 06.01.2021

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में चारागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में भी उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबन्धित किया गया है। यदि चारागाह भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसी स्थिति में चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किया जाकर ही यह भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध कराई जा सकती है। चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं इसको आवंटन के लिये उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम,1955 के नियम 7 में प्रावधित है। जिसके तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किए जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति अनाधिवासित सरकारी भूमि से किए जाने का प्रावधान है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर प्रयोजनार्थ, उपयोग/ आवंटन पर इस नियम की पालना में अनाधिवासित सरकारी भूमि से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा रही है। इस परिपत्र के माध्यम से 7 नियम के तहत आत्यधिक आवश्यकता के लिए वर्णित प्रयोजनार्थ infrastructure projects viz. air strip, lift irrigation pumping station, government building, government offices, shamshan, kabristan, gaushala and rehabilitation purpose, the expression "Infrastructure Projects viz Air Strips, Irrigation Schemes, Water Supply Schemes, Government Building, Government Offices, Shamshans, Kabristans, Gaushalas, Rehabilitation Purposes, Industrial Development Authorities/ Companies set by the State Government, Krishi Upaj Mandis, Rajasthan state Warehousing Corporation, National Highways, State Highways, Major District Roads and for laying Railway Lines हेतु चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की भूमि से की जाए, के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. चारागाह की क्षतिपूर्ति, जहाँ तक सम्भव हो, उसी ग्राम में व उसी ग्राम में नहीं

होने पर उसी पंचायत के अन्य निकटस्थ ग्राम में की जाए।

2. उसी ग्राम में अथवा उसी ग्राम पंचायत के अन्य निकटस्थ ग्राम में भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आस-पास की पंचायत के पास के गाँव में अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अलग रखी जा सकती है।
3. यदि इस उद्देश्य हेतु आसपास की पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार की अनुमति से जिले की अन्य पंचायत से अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अलग रखी जा सकती है।
4. क्षतिपूर्ति ऐसी अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) से की जाए जो विद्यमान चारागाह से लगती हुई हो व विद्यमान चारागाह में आसानी से सम्मिलित होकर चारागाह के रूप में विकसित हो सके।
5. कई बार बहुत कम क्षेत्रफल की अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक होती है। ऐसे में उचित होगा कि इस प्रकार से प्रकरणों हेतु एक बड़े भू-भाग जो 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम नहीं हो, को चिह्नित किया जाए जिसमें से समय-समय पर चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.09.2019 के अतिक्रमण में यह परिपत्र जारी किया जाता है।

ह./-

(कमलेश आबूसरिया)

शासन उप सचिव

राजस्व समाचार

राजस्व मंडल की ओर से राज्यस्तरीय निर्णय लेखन कार्यशालाओं का आयोजन

राजस्व मंडल की ओर से उठाये गये नवाचारी कदम के तहत राज्य के राजस्व न्यायालयों से पारित निर्णयों के गुणवत्ता एवं विधिसम्मत रूप से लिखे जाने के महत्वपूर्ण उद्देष्य को लेकर तीन राज्य–स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

कार्यशालाओं में राज्य के संभाग एवं जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, भू–प्रबंध अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स एवं समकक्ष स्तर के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों ने भागीदारी निभायी।

कार्यशालाओं में राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने राजस्व न्यायालयों की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आधार पर निर्णय पारित करने पर जोर दिया।

उन्होंने राजस्व न्यायालयों में निर्णयों की गुणवत्ता की स्थिति में सुधार के लिए जिम्मेदार पीठासीन अधिकारियों से निर्णय पूर्ण स्पष्टता के साथ–साथ तथ्यात्मकता, जवाब दावा, अधिवक्ताओं की दलील व नजीर आदि को ध्यान में रखकर पूर्ण विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर लिखे जाने की बात कही।

लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें

श्री सिंह ने कहा कि न्यायालयों में पेशकार वर्ग के स्तर पर निर्णय लेखन हेतु निर्भरता अत्यंत गंभीर विषय है, पीठासीन अधिकारी वर्ग को इससे बचते हुए स्वयं निर्णय लेखन की व्यवस्था लागू करनी होगी तभी गुणवत्तापूर्ण एवं उचित निर्णय की कल्पना की जा सकती है।

बेहतर कार्यक्षमता, अनुभव एवम कार्ययोजना से कार्य करें अधिकारी

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने राजस्व अधिकारियों को लोक दायित्व निर्वहन में अपनी बेहतरीन कार्यक्षमता, अनुभव एवं प्रभावी कार्ययोजना को आधार बनाकर कार्य करने की महती आवश्यकता जतायी।

निर्णयों का होगा परीक्षण

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का प्रभावी निरीक्षण कर पारित निर्णय के परीक्षण की व्यवस्था अमल में लाई जाएगी ताकि त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण निर्णय लेखन की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

श्रेष्ठ अनुभव व कौशल का परिचय दें

श्री सिंह ने कहा कि उपखंड अधिकारी के स्तर पर निर्णीत होने वाले निर्णय अति महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अपने बेहतरीन अनुभव, विधिक आधार, न्यायिक प्रक्रियाओं एवं व्यावहारिकता आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण, विधिसम्मत एवं विवेचनापूर्ण निर्णय लेखन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा न करने से अपीलों की संख्या में वृद्धि व निर्णय के परिवर्तित होने की स्थितियां पैदा होती है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दें नोटिस समय पर एवं व्यवस्थित रूप से तामील हों, उसके पश्चात ही पूर्ण विवेक से निर्णय की स्थिति बने। प्रकरण अनावश्यक लंबित ना होने पाए, इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।

अपीलों का निस्तारण पारदर्शी, प्रामाणिक व वैधानिक प्रक्रिया से करें

श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि अपीलीय राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को लोक हित व न्यायहित को सर्वोपरि मानकर पारदर्शी प्रमाणिकता व विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपीलों का निस्तारण करना चाहिए।

कार्य व्यवहार में श्रेष्ठता व अनुशासन का रखें ध्यान

उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय व्यवस्था लोक कल्याण का कार्य है इसमें हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर विधिक पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ व्यवहार एवम अनुशासित होकर दायित्व निभाने से ही पद का गौरव बढ़ता है।

पीठासीन अधिकारियों को लगन, निष्ठा, नियमितता, निष्पक्षता, शुचिता व गरिमा से कार्य करना होगा। निर्णय वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रकरण का पूर्ण विश्लेषण व विवेचन करते हुए, नजीरों व दलीलों का उल्लेख करते हुए व मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए लिखे जायें।

श्रेष्ठ निर्णय के लिए देंगे सम्मान

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि मंडल श्रेष्ठ राजस्व निर्णय लेखन के लिए प्रत्येक जिले से एक उपखंड अधिकारी को सम्मानित करेगा। उपखंड अधिकारी अपने अच्छे फैसलों को मंडल तक पहुंचाएं।

पीठासीन अधिकारी प्रकरण निस्तारण हेतु पूर्ण क्षमता से प्रयास करें

राजस्व अदालतों की महत्ता प्रतिपादित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की राजस्व अदालतों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं ऐसे में हम सभी का साझा दायित्व बनता है कि लंबित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के लिए हम हरसंभव प्रयास करें।

उन्होंने न्याय के लिए प्रतीक्षारत साधारण व गरीब वर्ग को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए अधिकारी वर्ग से करुणा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ–साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य निष्पादन की बात कही।

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में श्रेष्ठ गुणवत्ता, समर्पित एवं संवेदनशील होकर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने व विधि विरुद्ध कार्य करने पर दंड के समुचित प्रावधान अमल में लाए जाएंगे।

राजस्व रिकॉर्ड करें दुरुस्त

राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हर हाल में अधिकारियों को राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, इससे सार्वजनिक क्षेत्र, राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी चिकित्सालय या अन्य राजकीय भवनों के उपयोगार्थ भूमि आवंटन की स्थिति में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आबादी विस्तार को देखते हुए भूमि के अतिरिक्त आवंटन तथा विद्यालयों एवम खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों को भी प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही।

चरागाह भूमि से हटे अतिक्रमण

उन्होंने कहा कि राज्य में चरागाह भूमि की उपलब्धता की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। अधिकारियों को चाहिए कि वे चरागाह भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अतिक्रमण को हटाएं। अन्य भूमि आवंटन के मामलों में स्वयं के स्तर पर मौका देखें, पटवारी व तहसीलदार स्तर से मौका रिपोर्ट मंगवाएं जिससे कब्रिस्तान अथवा शमशान के लिए उपयोग में ली जा रही भूमि पर विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो।

पत्रावलियों को आदिनांक रखें

राजस्व मंडल की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने आगामी प्रशासन गांवों के संग अभियान के महत्व को देखते हुए प्रकरणों का पूर्ण अध्ययन व समय रहते पत्रावलियों को आदिनांक करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दस्तावेजों का अध्ययन कर विधिसम्मत निर्णय देने पर जोर दिया ताकि राजस्व मंडल को प्रस्तुत प्रकरणों में किसी भी प्रकार की विसंगति का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कार्यशाला के अनुभवों को अपने

कार्य क्षेत्र में साझा करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक आमजन को त्वरित राहत प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रकरण अनावश्यक लम्बित न हों, पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन हो।

राजस्व मंडल सदस्य हरिशंकर गोयल ने अपील के पश्चात रिकॉर्ड व पक्षकार के उपस्थित हो जाने पर अविलम्ब बहस किये जाने पर जोर दिया जिससे प्रकरण का त्वरित व उचित निर्णय हो सके।

कार्यशालाओं में सदस्य सुरेंद्र कुमार पुरोहित, पंकज नरूका, गणेश कुमार, श्रवण कुमार बुनकर, रामनिवास जाट ने भी राजस्व निर्णयों की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की।

सर्वाधिक प्रकरण उपखंड स्तर पर–निबंधक

राजस्व मंडल निबंधक बाबूलाल मीणा ने कहा कि राज्य में लंबित साढे 5 लाख प्रकरणों में से 3 लाख से अधिक प्रकरण उपखंड स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लंबित है। कृषक हित को ध्यान में रखते हुए उपखंड न्यायालयों को पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्रता से न्याय दिलाने के उपाय करने चाहिए। विधिसम्मत न्याय प्रक्रिया से अपीलों की संख्या स्वतः न्यूनतम हो जाएगी।

विविध सत्र

कार्यशालाओं के विविध सत्रों में राजस्व मंडल के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने निर्णय लेखन के संदर्भ में जानकारी देते हुए कानूनी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। इसी प्रकार राजस्व मंडल के सदस्य हरिशंकर गोयल ने निर्णय लेखन की विविधता एवं विविध नियमों व अधिनियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सदस्य जाट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 136 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएसयू आसनानी ने निर्णय गुणवत्ता सुधार पर विचार रखे। कार्यशालाओं में संभागियों ने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली विविध समस्याओं का जिक्र किया। जिन पर विशेषज्ञों ने विधिक आधार पर निराकरण के महत्वपूर्ण सुझाव रखे। राजस्व मंडल के सदस्य सुरेंद्र कुमार पुरोहित व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायालय संचालन के विधिक पक्षों एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रमों में अतिरिक्त निबंधक बीएस सांदू सहित राज्य के जिलों से जिला कलेक्टर के स्तर पर मनोनीत उपखंड अधिकारियों ने भागीदारी निभाई। कार्यशालाओं के समापन अवसर पर कार्यशाला के संभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति समारोह

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us :
Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email : bor-rj@nic.in